मध्यप्रदेश विधेयक

(क्रमांक   सन् 2007)

मध्यप्रदेश स्टाम्प विधेयक, 2007

विषयसूची

खण्ड :   **अध्याय–1**

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम,विस्तार तथा प्रारंभ.
2. परिभाषाएं.

अध्याय–2

स्टाम्प शुल्क

क–लिखतों का शुल्क के बारे में दायित्व.

3. शुल्क से प्रभार्य लिखतें.
4. एकल संव्यवहार में प्रयोग में लायी गई कई लिखतें.
5. कई सुभिन्न मामलों से संबंधित लिखतें.
6. अनुसूची में विभिन्न वर्णनों में आने वाली लिखतें.
7. प्रतिलिपियों, प्रतिलेखों या दूसरी प्रतियों पर शुल्क का भुगतान, जबकि मुख्य या मूल लिखत पर शुल्क का भुगतान किया गया हो.
8. उधार पर निर्गमित बंध–पत्र या अन्य प्रतिभूतियां.
9. शुल्कों को कम करने, छूट देने या प्रशमन करने की शक्ति.

ख–स्टाम्प तथा उनको प्रयुक्त किए जाने का ढंग.

10. शुल्क का संदाय कैसे किया जाएगा.
11. चिपकने वाले स्टाम्पों का उपयोग.
12. चिपकने वाले स्टाम्प का रद्दकरण.
13. छापित स्टाम्पों से स्टाम्पित लिखतें कैसे लिखी जाएंगी.
14. एक स्टाम्प पर केवल एक लिखत रहेगी.
15. लिखतों में परिवर्तन कैसे प्रभार्य होंगे.

16. धारा 13, 14 या 15 के प्रतिकूल लिखी गई लिखत असम्यक रूप से स्टाम्पित समझी जायेगी.

17. शुल्क का द्योतन करना.

ग– लिखतों को स्टापित करने का समय.

18. राज्य में निष्पादित की गई लिखतें.

19. लिखतें, जो राज्य के बाहर निष्पादित की गई है.

20. मध्यप्रदेश राज्य में बढ़े हुए शुल्क के लिए दायी कतिपय लिखतों या उनकी प्रतिलिपियों पर शुल्क का भुगतान.

21. उन लिखतों के संबंध में प्रमाण पत्र या पृष्ठांकन की वैधता जिनके लिए मध्यप्रदेश में शुल्क की उच्चतर दर देय है.

घ–शुल्क के लिए मुल्यांकन.

22. विदेशी करेंसी में अभिव्यक्त रकम का संपरिवर्तन.

23. स्टाक और विपण्य प्रतिभूतियों का मुल्यांकन कैसे किया जाएगा.

24. वे लिखतें जिनमें ब्याज के लिए उपबंध है.

25. विपण्य प्रतिभूतियों के बंधकों से संबंधित कतिपय लिखतों का करार के रूप में प्रभार्य होना.

26. किसी ऋण के प्रतिफलस्वरूप अथवा भविष्य में संदाय आदि की शर्त वाले अंतरण किस प्रकार प्रभारित किए जाएंगे.

27. वार्षिकी आदि की दशा में मुल्यांकन.

28. स्टाम्प, जहां कि विषय वस्तु का मूल्य अनवधार्य है.

29. खान के पट्टों की लिखतों पर स्टाम्प शुल्क का पुनः निर्धारण करने के लिए विशेष उपबंध.

30. शुल्क पर प्रभाव डालने वाले तथ्यों का लिखत में उपवर्णित किया जाना.

31. बाजार मूल्य संबंधी दिशानिर्देशों का नियत किया जाना.

ड. शुल्क किसके द्वारा देय है.

32. शुल्क किसके द्वारा देय है.

अध्याय–3

स्टाम्पों के बारे में न्यायानिर्णयन.

33. समुचित स्टाम्पों के बारे में न्याय निर्णयन.

34. कलक्टर द्वारा प्रमाण–पत्र.

अध्याय–4

सम्यक् रूप से स्टाम्पित न की गई लिखतें.

35. लिखतों की परीक्षा और परिबद्ध किया जाना.

36. सम्यक् रूप से स्टाम्पित न की गई लिखतें साक्ष्य आदि में अग्राह्य है.

37. लिखत का ग्रहण कहां प्रश्नगत नहीं किया जायेगा.

38. अनुचित रूप से स्टाम्पित लिखतों का ग्रहण.

39. परिबद्ध की गई लिखतें कैसे निपटाई जाएंगी.

40. शास्ति वापस लौटाने की कलक्टर की शक्ति.

41. परिबद्ध की गई लिखतों को स्टाम्पित करने की कलक्टर की शक्ति.

42. दुर्घटनावश असम्यक् रूप से स्टाम्पित लिखतें.

43. उन लिखतों को पृष्ठांकित करना, जिन पर धारा 36, 41 या 42 के अधीन शुल्क दिया जा चुका है.

44. स्टाम्प विधि के विरुद्ध अपराध के लिए अभियोजन.

45. शुल्क या शास्ति देने वाले व्यक्ति कतिपय मामलों में उसे वसूल कर सकेंगे.

46. कतिपय मामलों में शास्ति या अधिक शुल्क वापस लौटाने की राजस्व प्राधिकारी की शक्ति.

47. धारा 39 के अधीन भेजी गई लिखतों का खो जाने का अदायित्व.

48. न्यून मूल्यांकित लिखतों पर किस प्रकार कार्यवाही की जायेगी.

49. शुल्कों और शास्तियों की वसूली.

अध्याय–5

कतिपय अवस्थाओं में स्टाम्पों में छूट.

50. खराब हो गए स्टाम्पों के लिए छूट.
51. धारा 50 के अधीन राहत दिये जाने के लिए आवेदन कब किया जायेगा.
52. छपे प्ररूपों की दशा में छूट जिनकी निगमों को और आवश्यकता नहीं हो.
53. गलती से उपयोग किये गये स्टाम्पों के लिए छूट.
54. खराब हो गये या गलती से उपयोग किये स्टाम्पों के लिए छूट किस प्रकार दी जायेगी.
55. उन स्टाम्पों के लिये छूट जो उपयोग में नही लाने हैं.
56. स्टाम्पों का अविधिमान्य किया जाना तथा व्यावृत्तियां.

अध्याय–6

निर्देश और पुनरीक्षण.

57. मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी का नियंत्रण और उसे मामले का कथन.
58. स्टाम्पों की पर्याप्तता के संबंध में कलक्टर के कतिपय विनिश्चयों का पुनरीक्षण.
59. उच्च न्यायालय को मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी द्वारा मामले का कथन.
60. कथित मामले के बारे में अतिरिक्त विशिष्टयों की मांग करने की उच्च न्यायालय की शक्ति.
61. कथित मामलों को निपटाने की प्रक्रिया.
62. उच्च न्यायालय को अन्य न्यायालयों द्वारा मामले का कथन.
63. स्टाम्पों की अपर्याप्तता के संबंध में न्यायालयों के कतिपय विनिश्चयों का पुनरीक्षण.

अध्याय–7

दाण्डिक अपराध और प्रक्रिया.

64. ऐसी लिखत के, जो सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं हैं, निष्पादन आदि के लिए शास्ति.

65. समाशोधन सूची में मिथ्या घोषणा करने के लिये शास्ति.

66. चिपकने वाले स्टाम्प को काटने में त्रुटि के लिये शास्ति.

67. धारा 30 के उपबंधों का अनुपालन करने में लोप करने के लिए शास्ति.

68. स्टाम्प शुल्क में कमी की राशि की वसूली.

69. स्टाम्पों के विक्रय से संबंधित नियम के भंग के और अप्राधिकृत विक्रय के लिए शास्ति.

70. अभियोजनों का संस्थित किया जाना और संचालन.

71. न्यायालयों की अधिकारिता.

अध्याय–8

अनुपूरक उपबध.

72. पुस्तकें आदि निरीक्षण के लिए खुली रहेंगी.

73. नियम बनाने की शक्ति.

74. राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखे जायेंगे.

75. कतिपय शक्तियों का प्रत्यायोजन.

76. कठिनाइयां दूर करने की शक्तियां.

77. न्यायालय फीस के बारे में व्यावृत्ति.

78. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का लागू होना.

79. निरसन और व्यावृत्ति.

अनुसूची– लिखतों पर स्टाम्प शुल्क.

मध्यप्रदेश विधेयक

(क्रमांक सन् 2007)

मध्यप्रदेश स्टाम्प विधेयक, 2007

मध्यप्रदेश राज्य में स्टाम्पों से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के अट्ठावनवे वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

अध्याय – 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश स्टाम्प अधिनियम,
संक्षिप्त नाम , 2007 है ।
विस्तार तथा प्रारंभ.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है ।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित
परिभाषाएं. न हो, –

(क) ''संगम'' से अभिप्रेत है कोई संगम, केन्द्र, संगठन अथवा व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो अथवा नहीं, जिसे किसी माल या विपणन योग्य प्रतिभूतियों के विक्रय या क्रय के कारबार या उससे संबंधित अन्य संव्यवहारों के विनियमन और नियंत्रण के प्रयोजन से स्थापित किया गया हो;

(ख) ''बैंककार'' से अभिप्रेत है ऐसा कोई संगम , कोई

कम्पनी या कोई व्यक्ति, जो उधार देने या विनिधान करने के प्रयोजन के लिए जनता से धन के निक्षेप स्वीकार करता है, जो मांग पर या अन्यथा प्रतिसंदेय हो तथा चैक, ड्राफ्ट, आदेश द्वारा या अन्यथा प्रत्याहरणीय हो ;

(ग) ''बंध–पत्र'' में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :–

(एक) कोई लिखत,जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धन देने के लिए अपने को इस शर्त पर बाध्य करता है कि यदि कोई विनिर्दिष्ट कार्य,यथास्थिति, किया गया या नहीं किया गया, तो वह बाध्यता शून्य हो जाएगी ;

(दो) कोई लिखत, जो किसी साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित है और जो आदेशानुसार या वाहक को देय नहीं है और जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई धन राशि देने के लिए अपने को बाध्य करता है; और

(तीन) कोई लिखत, जो इस प्रकार अनुप्रमाणित है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अनाज या अन्य कृषि उपज परिदत्त करने के लिए अपने को बाध्य करता है ।

स्पष्टीकरण :– तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए किसी लिखत के संबंध में ''अनुप्रमाणित'' से अभिप्रेत है ऐसे एक या अधिक साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित जिनमें से प्रत्येक ने निष्पादक को लिखत पर हस्ताक्षर करते

या अपना चिन्ह लगाते हुए देखा है या निष्पादक की उपस्थिति में और उसके निर्देश द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को लिखत पर हस्ताक्षर करते
देखा है, या निष्पादक से उसके अपने हस्ताक्षर या चिन्ह की या ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर की वैयक्तिक अभिस्वीकृति प्राप्त की है और जिनमें से प्रत्येक ने निष्पादक की उपस्थिति में लिखत पर हस्ताक्षर किए हैं, किन्तु यह आवश्यक नहीं होगा कि ऐसे साक्षियों में से एक से अधिक उसी समय उपस्थित रहे हों, और अनुप्रमाणन का कोई विशिष्ट प्ररूप आवश्यक नहीं होगा;

(घ) ''प्रभार्य''से अभिप्रेत है वहां जहां कि वह इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् निष्पादित की गई या प्रथम बार निष्पादित की गयी किसी लिखत को लागू है, इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य तथा वहां जहां कि वह किसी अन्य लिखत को लागू है उस समय, जब ऐसी लिखत निष्पादित की गयी थी या वहां जहां कि लिखत कतिपय व्यक्तियों द्वारा विभिन्न समयों पर निष्पादित की गई थी उस समय, जब वह प्रथम बार निष्पादित की गई थी, राज्य में प्रवृत्त विधि के अधीन प्रभार्य ;

(ङ•) ''मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है ऐसा अधिकारी, जिसे राज्य सरकार, सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य या इसके किसी भाग के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियुक्त करे;

(च) ''समाशोधन सूची'' से अभिप्रेत है संविदाओं से संबंधित संव्यवहारों की ऐसी कोई सूची जो संगम के नियमों या उप–विधियों के अनुसार किसी संगम के समाशोधन गृह को प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है :

परन्तु कोई भी लिखत इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए समाशोधन सूची तब तक नहीं समझी जाएगी , जब तक कि इसमें ऐसे संव्यवहार करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से सम्यक. रूप से

किसी अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित निम्नलिखित घोषणा अंतर्विष्ट न हो, अर्थात् :—

मैं/हम, एतद्द्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त सूची में रेखांकित संव्यवहारों तथा संगम के नियमों/उप–विधियों के अनुसार समाशोधन गृह को प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित संव्यवहारों सहित मेरे/हमारे संव्यवहारों का पूर्ण एवं सही विवरण अंतर्विष्ट है। मैं/हम यह और घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऐसे किसी संव्यवहार का लोप नहीं किया गया है, जिसके लिए अनुसूची में अनुच्छेद 5 या अनुच्छेद 41, जैसी भी स्थिति हो, के अधीन छूट का दावा किया गया है ।

स्पष्टीकरण :— इस खण्ड के प्रयोजन के लिए ''संव्यवहार'' के अन्तर्गत विक्रय तथा क्रय दोनों आते हैं ;

(छ) ''कलक्टर '' से अभिप्रेत है किसी जिले के राजस्व प्रशासन का मुख्य भारसाधक अधिकारी तथा इसके अंतर्गत ऐसा कोई अधिकारी आता है जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियुक्त करे ;

(ज) ''हस्तांतरण–पत्र'' मे सम्मिलित हैं :—

(एक) विक्रय पर हस्तांतरण–पत्र ;

(दो) किसी सिविल न्यायालय या राजस्व प्राधिकारी की प्रत्येक डिक्री या अंतिम आदेश ;

(तीन) कंपनी अधिनियम,1956 (1956 का सं. 1) की धारा 394 के अधीन कम्पनियों के समामेलन या पुनर्गठन के संबंध में अधिकरण का प्रत्येक आदेश तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (1949 का सं.10) की धारा 44–क के अधीन बैंककारी कम्पनियों के समामेलन या पुनर्गठन के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक का प्रत्येक आदेश ;

(चार) कोई अन्य लिखत :—

जिसके द्वारा कोई सम्पत्ति, चाहे जंगम हो या स्थावर हो,या कोई संपदा या किसी संपत्ति में का हित किसी अन्य व्यक्ति को, जीवन काल में अंतरित या उसमें निहित किया जाए और जिसके कि लिए अनुसूची द्वारा विशिष्टतः उपबंध नहीं किया गया है ।

स्पष्टीकरण:— कोई लिखत, जिसके द्वारा किसी सम्पत्ति का एक सहस्वामी सम्पत्ति के दूसरे सहस्वामी को अपना हित अंतरित करता है तथा जो विभाजन की लिखत नहीं है, इस खंड के प्रयोजनों के लिए ऐसी लिखत समझी जाएगी जिसके द्वारा सम्पत्ति अंतरित होती है ;

(झ) ''सम्यक् रूप से स्टाम्पित '' से जबकि वह किसी लिखत के बारे में प्रयुक्त है, अभिप्रेत है समुचित रकम से अन्यून रकम का स्टाम्प, उस लिखत पर लगा हुआ है, तथा ऐसा स्टाम्प राज्य में तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार लगाया गया है, या उपयोग में लाया गया है ;

(ञ) ''निष्पादित और निष्पादन'' से जबकि उसका प्रयोग लिखतों के संबंध में किया गया है, ''हस्ताक्षरित''और ''हस्ताक्षर'' अभिप्रेत है और उसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का सं. 21) की धारा 11 के अनुसार इलेक्ट्रानिक अभिलेख की विशेषता सम्मिलित है ;

(ट) ''सरकारी प्रतिभूति'' से अभिप्रेत है लोक ऋण अधिनियम, 1944 में यथा परिभाषित सरकारी प्रतिभूति ;

(ठ) ''स्थावर सम्पत्ति'' के अंतर्गत भूमि,भवन, आनुवंशिक भत्ते, मार्ग प्रकाश, पारघाट,मीनक्षेत्र के अधिकार या भूमि से उद्‌भूत होने वाले कोई भी अन्य फायदे और भू—बद्ध वस्तुएं या

भू– बद्ध किसी भी वस्तु से स्थायी रूप से जकड़ी वस्तुएं आती है, किन्तु खड़ा काष्ठ,उगती फसलें या घास इसके अंतर्गत नहीं आती ।

स्पष्टीकरण :–इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए किसी कारखाने में लगी कोई प्लांट तथा मशीनरी, चाहे यह हटाने योग्य स्थिति में हो , जब कारखाने को चलाने के आशय से विक्रय की जाये, स्थावर सम्पत्ति गठित करेगी ।

(ड) ''छापित स्टाम्प'' के अंतर्गत निम्नलिखित हैं:–

(एक) उचित अधिकारी द्वारा लगाये गये और छापित लेबल ;

(दो) स्टाम्प कागज पर समुद्भृत या उत्कीर्ण स्टाम्प ; और

(तीन) फ्रेंकिंग मशीन या कोई अन्य मशीन, जैसा राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा राजपत्र में विनिर्दिष्ट करे, द्वारा छाप ;

(ढ़) ''लिखत'' के अंतर्गत ऐसी प्रत्येक दस्तावेज तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का सं. 21) की धारा 2 के खण्ड (न) के अधीन यथा परिभाषित ''इलेक्ट्रानिक अभिलेख'' है, जिसके द्वारा कोई अधिकार या दायित्व सृजित, अंतरित, सीमित, विस्तारित, निर्वापित या लेखबद्ध किया जाता है या किया जाना तात्पर्यित है, तथा अनुसूची में उल्लिखित कोई अन्य दस्तावेज है ;

(ण) ''विभाजन की लिखत'' से अभिप्रेत है कोई ऐसी लिखत, जिसके द्वारा किसी सम्पत्ति के सह–स्वामी ऐसी सम्पत्ति को विभाजित करें , या पृथक्तः विभाजित करने के लिए सहमत हों, और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं :–

(एक) किसी राजस्व प्राधिकारी या किसी सिविल न्यायालय द्वारा पारित किया गया विभाजन करने

संबंधी अंतिम आदेश ;

(दो) विभाजन करने का निर्देश देते हुए मध्यस्थ द्वारा दिया गया कोई पंचाट; और

(तीन) जब कोई विभाजन किसी ऐसी लिखत को निष्पादित किये बिना कर दिया गया हो, तो कोई लिखत या लिखतें, जो सह–स्वामियों द्वारा हस्ताक्षरित हों तथा जिनमें सहस्वामियों के बीच ऐसे विभाजन के निबंधन, चाहे ऐसे विभाजन की घोषणा के रूप में या अन्यथा, अभिलिखत हों ;

(त) ''पटटा'' से स्थावर सम्पत्ति का पट्टा अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं :–

(एक) पट्टा ;

(दो) किसी स्थावर सम्पत्ति पर खेती करने, उस पर अधिभोग रखने या उसके लिए भाटक का संदाय या परिदान करने के लिए कोई कबूलियत या लिखित में अन्य वचनबंध, जो पट्टे का प्रतिलेख नहीं है ;

(तीन) कोई लिखत, जिसके द्वारा किसी प्रकार के पथकर, पट्टे पर उठाये जाते हैं ;

(चार) पट्टे के लिए आवेदन पर कोई लेखन, जिससे यह संज्ञापित करना आशयित है कि आवेदन मंजूर कर लिया गया है ;

(पांच) पट्टे पर देने का करार ;

(छह) पट्टे के संबंध में किसी सिविल न्यायालय या राजस्व न्यायालय की कोई डिक्री या अंतिम आदेश ;

(सात) कोयलाधारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 20) की धारा 10 के अधीन अर्जित भूमि

या अधिकारों को किसी शासकीय कम्पनी में निहित करने का सरकार का उक्त अधिनियम की धारा 11 के अधीन प्रत्येक आदेश ;

(थ) किसी भी सम्पत्ति के संबंध में ''बाजार मूल्य'' से, ऐसी रीति में तथा ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसे इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा विहित किया गया हो, द्वारा अवधारित वह कीमत, जो ऐसी संपत्ति के लिए प्राप्त हुई होती यदि उसे लिखत के निष्पादन की तारीख को खुले बाजार में बेचा जाता, या लिखत में कथित प्रतिफल, इनमें से जो भी उच्चतर हो, अभिप्रेत है ;

(द) ''विपण्य प्रतिभूति'' से ऐसे प्रकार की प्रतिभूति अभिप्रेत है जो भारत के या विदेश के किसी स्टाक बाजार में बेचे जाने के योग्य है ;

(ध) ''बंधक विलेख'' के अतंर्गत ऐसी प्रत्येक लिखत है जिसके द्वारा इस प्रयोजन से कि उधार के तौर पर दी गई या दी जाने वाली धन राशि को या किसी वर्तमान या भावी ऋण को या किसी बचनबंध का पालन करने को प्रतिभूत किया जाये, कोई व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट संपत्ति पर या उसके संबंध में कोई अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को या उसके पक्ष में अंतरित या सृजित करता है ;

(न) ''जंगम संपत्ति'' के अंतर्गत खड़ा काष्ठ, ऊगती फसलें और घास, पेड़ों के फल तथा रस और स्थावर संपत्ति के सिवाय अन्य प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति आती है ;

(प) ''कागज'' के अंतर्गत नकली चमड़ा , चिमड़ा कागज या कोई अन्य सामग्री है, जिस पर कोई लिखत लिखी जा सकती है ;

(फ) ''मुख्तारनामा'' के अंतर्गत ऐसी लिखत (तत्समय प्रवृत्त न्यायालय फीस से संबंधित विधि के अधीन किसी फीस से प्रभार्य न होने वाली) अभिप्रेत है जो उसे निष्पादित करने वाले व्यक्ति के लिए और

उसके नाम से कार्य करने के लिए किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को सशक्त करती है, और इसके अंतर्गत ऐसी लिखत भी है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति के विधि व्यवसायी न होने पर, किसी भी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष किसी भी कार्यवाही में किसी पक्षकार की ओर से उपस्थित होने के लिए प्राधिकृत करती है ;

(ब) ''लोक अधिकारी'' से अभिप्रेत है सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 (1908 का सं. 5) की धारा 2 के खण्ड (17) में यथा परिभाषित कोई लोक अधिकारी ;

(भ) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम से संलग्न कोई अनुसूची ;

(म) ''व्यवस्थापन''से अभिप्रेत है किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का कोई ऐसा लिखित अवसीयती व्ययन, जो :—

(एक) विवाह के प्रतिफल में किया गया है ; या

(दो) व्यवस्थापक की संपत्ति के उसके कुटुम्ब के मध्य वितरित करने के प्रयोजन के लिए ; या

(तीन) धार्मिक या पूर्त (चेरिटेबल) प्रयोजन के लिए किया गया है, और इसके अंतर्गत ऐसा व्ययन करने के लिए लिखित करार है; और जहां कि कोई ऐसा व्ययन लिखित में नहीं किया गया है, वहां किसी ऐसे व्ययन के निबंधनों का, चाहे वे न्यास की घोषणा के तौर पर या अन्य प्रकार का हो, अभिलिखित करने वाली कोई लिखत है ;

(य) ''सैनिक'' के अंतर्गत अनायुक्त आफिसर से निम्न रैंक का कोई व्यक्ति है, जो सेना अधिनियम, 1950 (1950का सं. 46) के अधीन अभ्याविष्ट है ;

(यक) ''स्टाम्प'' से अभिप्रेत है कोई चिन्ह, मुद्रा या राज्य सरकार

सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अभिकरण या व्यक्ति द्वारा पृष्ठांकन और इसके अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य शुल्क के प्रयोजनों के लिए कोई आसंजक, छापित या इलेक्ट्रानिक स्टाम्प भी है ।

अध्याय 2

स्टाम्प शुल्क

क–लिखतों का शुल्क के बारे में दायित्व.

शुल्क से प्रभार्य लिखतें .

3. इस अधिनियम के उपबंधों और अनुसूची में अंतर्विष्ट छूटों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित लिखतें ऐसी रकम के शुल्क से प्रभार्य होगी, जो उस अनुसूची में क्रमशः उनके लिए उचित शुल्क के रूप में उपदर्शित की गई है, अर्थात् :–

(क) अनुसूची में वर्णित प्रत्येक वह लिखत , जो किसी व्यक्ति द्वारा पूर्व में निष्पादित नहीं की गई है, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात् राज्य में निष्पादित की गई ;

(ख) अनुसूची में वर्णित ऐसी प्रत्येक लिखत, जो किसी व्यक्ति द्वारा पूर्व में ही निष्पादित नहीं की गई है, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात् राज्य के बाहर निष्पादित की गई है, किसी ऐसी सम्पत्ति से, जो राज्य में स्थित है या किसी ऐसी बात या चीज से, जो राज्य में की गई या की जाने वाली है, संबधित है और राज्य में प्राप्त की गई है :

परंतु जब किसी मूल लिखत पर,जो अनुसूची में

उसके लिए उचित शुल्क के रूप में दर्शायी गई रकम के शुल्क से प्रभार्य है उचित शुल्क नहीं चुकाया गया हो, तब ऐसी लिखत की प्रति या संव्यवहार के बारे में या संबंध में कोई अभिलेख, शुल्क की ऐसी रकम से प्रभार्य होगा , जो कि ऐसी मूल लिखत के लिए अनसूची में उचित शुल्क के रूप में दर्शायी गयी है :

परन्तु यह और कि कोई भी शुल्क निम्नलिखित की बाबत प्रभार्य नहीं होगा :–

(क) सरकार द्वारा या उसकी ओर से या उसके पक्ष में निष्पादित किसी लिखत पर, उन मामलों में, जिनमें, इस छूट के अभाव में, सरकार ऐसी लिखत की बाबत प्रभार्य शुल्क देने के लिए दायी होती;

(ख) कोई लिखत जो बाम्बे कोस्टिंग वेसल एक्ट, 1939 या वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या जलयान के, अथवा किसी पोत या जलयान के किसी भाग, हित, अंश या सम्पत्ति के, चाहे आत्यन्तिक या बंधक द्वारा या अन्य विक्रय, अंतरण या अन्य व्ययन के लिए है ।

एकल संव्यवहार में प्रयोग में लायी गई कई लिखतें.

4. (1) जहां किसी विक्रय, बंधक या परिनिर्धारण के मामले में, संव्यवहार को पूरा करने के लिए कई लिखतें प्रयुक्त की जाती हों, वहां मूल लिखत पर ही वह शुल्क प्रभार्य होगा, जो कि अनुसूची में हस्तांतरण, बंधक या परिनिर्धारण के लिए विहित है तथा

अन्य लिखतों में से प्रत्येक लिखत उस शुल्क (यदि कोई हो) के बजाय उस शुल्क से मानो कि यह अनुसूची के अनुच्छेद क्रमांक 5(झ) के अधीन करार है, प्रभार्य होगी ;

(2) पक्षकार अपने लिए यह अवधारित कर सकेंगे कि इस प्रकार प्रयुक्त की गई लिखतों में से कौन सी लिखत, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए मूल लिखत समझी जाएगी :

परन्तु इस प्रकार अवधारित की गई लिखत पर प्रभार्य शुल्क ऐसा अधिकतम शुल्क होगा जो प्रयोग में लाई गई उक्त लिखतों में से, किसी की बाबत प्रभार्य है।

कई सुभिन्न मामलों से संबंधित लिखतें.

5. कई सुभिन्न मामले समाविष्ट करने वाली या उनसे संबंधित कोई लिखत ऐसे शुल्कों की संकलित रकम से प्रभार्य होगी जिससे प्रत्येक ऐसे मामले को समाविष्ट करने वाली या उनसे संबंधित पृथक्–पृथक् लिखतें, इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य होतीं ।

अनुसूची में विभिन्न वर्णनों में आने वाली लिखतें .

6. धारा 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए , जहां इस प्रकार विरचित कोई लिखत, अनुसूची के दो या अधिक वर्णनों में आती हो, वहां यदि उसके अधीन प्रभार्य शुल्क भिन्न–भिन्न है, तो ऐसे शुल्कों में से केवल अधिकतम शुल्क से ही वह प्रभार्य होगी ।

प्रतिलिपियों, प्रतिलेखों या दूसरी प्रतियों पर शुल्क का भुगतान, जबकि मुख्य या मूल लिखत पर शुल्क का भुगतान किया गया हो .

7. (1) धारा 4 या धारा 6 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी मुख्य लिखत से भिन्न विक्रय, बंधक या व्यवस्थापन की कोई लिखत या किसी लिखत के प्रतिलेख, दूसरी प्रति या प्रतिलिपि पर प्रभार्य शुल्क, यदि मुख्य या मूल लिखत मध्यप्रदेश में प्राप्त होती, तो इस अधिनियम के अधीन शुल्क की उच्चतर दर से

प्रभार्य होता, वह शुल्क होगा, जिससे मुख्य या मूल लिखत धारा 20 के अधीन प्रभार्य होती जब तक कि यह साबित न हो जाये कि इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य शुल्क का भुगतान किया जा चुका है :–

(क) मुख्य या मूल लिखत पर, जैसा कि मामला हो; या,

(ख) इस धारा के उपबंधों के अनुसार ।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन शुल्क से प्रभार्य कोई लिखत, प्रतिलेख, दूसरी प्रति या प्रतिलिपि तब तक स्टाम्पित के रूप में ग्राह्य न की जा सकेगी जब तक कि उन पर उस धारा के अधीन प्रभार्य शुल्क का भुगतान नहीं कर दिया गया हो :

परन्तु वह न्यायालय, जिसके समक्ष कोई ऐसी लिखत, प्रतिलेख, दूसरी प्रति या प्रतिलिपि पेश की गई हो, इस धारा के अधीन प्रभार्य शुल्क का उस पर भुगतान करने की अनुज्ञा दे सकेगा तथा उसे साक्ष्य में ग्रहण कर सकेगा ।

8. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, डिबेंचरों **उधार पर निर्गमित** से भिन्न बंधपत्रों या अन्य प्रतिभूतियों को **बंध–पत्र या अन्य** निर्गमित करके तत्समय प्रवृत्त किसी विधि **प्रतिभूतियां** . के उपबंधों के अधीन उधार लेने वाला कोई भी स्थानीय प्राधिकारी, ऐसे उधार की बाबत् अपने द्वारा निर्गमित बंधपत्रों या अन्य प्रतिभूतियों की कुल रकम पर एक प्रतिशत शुल्क से प्रभार्य होगा और ऐसे बंधपत्रों या अन्य प्रतिभूतियों को स्टाम्पित करने की आवश्यकता नहीं होगी और नवीकरण, समेकन, उपविभाजन पर या अन्यथा किसी अतिरिक्त शुल्क से प्रभार्य नहीं होंगी ।

(2) कतिपय बंधपत्रों या अन्य प्रतिभूतियों को स्टाम्पित किये जाने से और किसी अतिरिक्त शुल्क से प्रभार्य होने से छूट देने वाले उपधारा (1) के उपबंधों डिबेंचरों से भिन्न उसमें वर्णित प्रकार के समस्त बकाया उधार

विषयक बंधपत्रों, या अन्य प्रतिभूतियां , चाहे वह स्टाम्पित हो या न हों,विधिमान्य होंगी ।

(3) इस धारा द्वारा अपेक्षित शुल्क का भुगतान करने में जानबूझकर उपेक्षा करने की दशा में, स्थानीय प्रधिकारी देय शुल्क की रकम पर दस प्रतिशत के बराबर राशि का सरकार को समपहृत हो जाने का, और ऐसे प्रथम मास के पश्चात्, प्रत्येक मास के लिए जिसके दौरान उपेक्षा चलती रहे समान शास्ति का दायी होगा ।

9. शुल्कों को कम करने, छूट देने या प्रशमन करने की शक्ति. यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह राजपत्र में प्रकाशित नियम या आदेश द्वारा :—

(क) सम्पूर्ण राज्य में या उसके किसी भाग में, ऐसे शुल्क को भविष्यलक्षी या भूतलक्षी प्रभाव से कम कर सकेगी या उससे छूट दे सकेगी, जिससे कोई लिखतें या किसी विशिष्ट वर्ग की लिखतें या ऐसे वर्ग की लिखतों में से कोई लिखत या कोई लिखतें, जब व्यक्ति के किसी विशिष्ट वर्ग द्वारा या उसके पक्ष में या ऐसे वर्ग के किन्हीं सदस्यों द्वारा या उनके पक्ष में निष्पादित की जायें, प्रभार्य हैं ; और

(ख) किसी निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय द्वारा निर्गमित बंधपत्र या अन्य विपण्य प्रतिभूतियों की दशा में शुल्कों के प्रशमन या समेकन के लिए उपबंध कर सकेगी ।

ख—स्टाम्प तथा उनको प्रयुक्त किए जाने का ढंग

10. शुल्क का संदाय कैसे किया जाएगा. (1) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय,सभी शुल्क, जिनसे कोई लिखत प्रभार्य है, संदत्त किये जायेंगे और ऐसा संदाय, ऐसे लिखतों पर स्टाम्पों या रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का सं.16) की धारा 6 के अधीन नियुक्त किए गए रजिस्ट्रार या

उप–रजिस्ट्रार द्वारा उपधारा (5) के अधीन पृष्ठांकित किए गए प्रमाण–पत्र के माध्यम से उपदर्शित किया जाएगा–

(क) इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार ; या

(ख) जहां ऐसा कोई उपबंध उसको लागू न हो, वहां जैसा राज्य सरकार नियमों द्वारा विहित करे ;

परन्तु यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है कि लोकहित में किसी लिखत या लिखतों के किसी विशिष्ट वर्ग पर शुल्क का भुगतान उपदर्शित करने का तरीका उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किए गए तरीकों में से किसी तरीके तक ही निर्बन्धित किया जाए, तो वह ऐसे आदेश द्वारा किया जा सकेगा जिसे राजपत्र में इस निमित्त प्रकाशित किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाये गये नियम, अन्य विषयों के साथ–साथ निम्नलिखित का विनियमन कर सकेंगे :–

(क) किसी या सभी प्रकार की लिखतों की दशा में, उन स्टाम्पों की संख्या या वर्णन,जो कि उपयोग में लाये जा सकेंगे ;

(ख) छापित स्टाम्पों से स्टाम्पित लिखतों की दशा में उपयोग में लाये जाने वाले पेपर का आकार या अन्य वर्णन ;

(ग) फ्रेंकिंग मशीनों या नियमों में यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य मशीनों का उपयोग ;

(घ) इलेक्ट्रानिक स्टाम्पिंग की प्रक्रिया ;

(ङ) उन प्रमाण–पत्रों का प्ररूप, जो कि स्टाम्प शुल्क के रूप में शासकीय लेखे में संदाय की गयी राशियों को उपदर्शित करने के लिए लिखतों पर पृष्ठांकित किया जाए ।

(3) उपधारा (2) के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए, राज्य सरकार किसी व्यक्ति, निकाय या संगठन, जिसमें पोस्ट आफिस, बैंक और अन्य लोक वित्तीय संस्थायें सम्मिलित हैं को, लिखतों

पर स्टाम्प शुल्क का संदाय उपदर्शित करने हेतु इलेक्ट्रानिक स्टाम्पिंग पद्धति के अधीन प्रविष्टि करने या स्टाम्प की छाप बनाने के लिए फ्रेंकिंग मशीन या ऐसी कोई अन्य मशीन का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी ।

(4) स्टाम्प शुल्क, किसी सरकारी कोषालय, उप कोषालय या सरकारी कारबार का संचालन करने के लिए प्राधिकृत बैंक में चालान द्वारा नकद में भी सरकारी खाते में संदत्त किया जा सकेगा ।

(5) रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार ऐसे चालान के प्रस्तुत कर दिये जाने पर तथा यह सम्यक् सत्यापन करने के पश्चात् कि शुल्क का संदाय कर दिया गया है , इस प्रकार संदत्त की गयी शुल्क की रकम का लिखत पर पृष्ठांकन ऐसे प्ररूप में करेगा, जैसा कि विहित किया जाए ।

(6) फ्रेंकिंग मशीन या किसी ऐसी अन्य मशीन द्वारा बनाई गई छाप या उपधारा (3) के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति, निकाय या संगठन द्वारा इलेक्ट्रानिक स्टापिंग पद्धति के अंतर्गत की गई प्रविष्टि या उपधारा (5) में यथा उपबंधित रजिस्ट्रार या उप–रजिस्ट्रार के द्वारा किये गये किसी पृष्ठांकन का वही प्रभाव होगा, मानो यथास्थिति, छाप या इलेक्ट्रानिक स्टाम्प में उपदिर्शत की गई या पृष्ठांकन में वर्णित की गयी रकम के बराबर शुल्क की रकम ऐसे लिखत के संबंध में संदत्त की जा चुकी है ।

11. अनुसूची के अधीन निम्नलिखित लिखतें चिपकने वाले स्टाम्पों से स्टाम्पित की जा सकेंगी, अर्थात् :–

चिपकने वाले स्टाम्पों का उपयोग.

(क) क्रमांक 1 (अभिस्वीकृति) ;

(ख) क्रमांक 15 (राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा संधारित अधिवक्ताओं की नामावली में नामांकन प्रमाण पत्र) ;

(ग) क्रमांक 18 (प्रमाण–पत्र) ;

(घ) क्रमांक 26 (माल के संबंध में परिदान आदेश) ;

(ङ) क्रमांक 28 (विवाह के प्रमाण–पत्र की प्रविष्टि) ;

(च) क्रमांक 34 (शेयरों के आवंटन –पत्र) ;

(छ) क्रमांक 40 (नोटरी कार्य) ;

(ज) क्रमांक 41 (नोट या ज्ञापन) ;

(झ) क्रमांक 57 (विपण्य प्रतिभूतियों का अंतरण) ; और

(ञ) क्रमांक 60 (माल के लिए अधिपत्र) ।

12. चिपकने वाले स्टाम्प का रद्दकरण.

(1) (क) जो कोई शुल्क से प्रभार्य किसी ऐसी लिखत पर, जो किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित की गई है, कोई चिपकने वाला स्टाम्प लगाता है, वह ऐसा स्टाम्प लगाते हुए उसे काट देगा जिससे वह पुनः उपयोग में न लाया जा सके ; और

(ख) जो कोई किसी कागज पर, जिस पर चिपकने वाला स्टाम्प लगा है, कोई लिखत निष्पादित करता है, वह निष्पादन के समय, यदि ऐसा स्टाम्प पूर्वोक्त रीति में पहले ही न काट दिया गया हो, उसे काट देगा जिससे वह पुनः उपयोग में न लाया जा सके ।

(2) किसी भी ऐसी लिखत को, जिस पर चिपकने वाला स्टाम्प लगा हुआ है और जो ऐसे काटा नहीं गया है कि उसे पुनः उपयोग में लाया जा सके, तो जहां तक ऐसे स्टाम्प का संबंध है, यह समझा जाएगा कि वह स्टाम्पित नहीं है ।

(3) वह व्यक्ति, जिससे उपधारा (1) के अधीन चिपकने वाले स्टाम्प को काटना अपेक्षित है, वह स्टाम्प पर या उसके आर–पार अपना नाम या आद्याक्षर या अपनी फर्म का नाम या आद्याक्षर लिखकर और लिखने की सही तारीख लिखकर या किसी और प्रभावी शर्त से उसे काट सकेगा ।

13. प्रत्येक ऐसी लिखत , जो ऐसे कागज पर लिखी है जो छापित

छापित स्टाम्पों से स्टाम्पित लिखतें कैसे लिखी जाएंगी .

स्टाम्प से स्टाम्पित है,ऐसी रीति से लिखी जाएगी कि लिखत के सामने के भाग पर स्टाम्प दिखाई दे और वह किसी अन्य लिखत के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सके या अन्य लिखत पर लगाया नहीं जा सके ।

स्पष्टीकरण 1:– जहां किसी लिखत के संबंध में प्रभार्य शुल्क की रकम की पूर्ति के लिए छापित स्टाम्प से स्टाम्पित कागज के दो या दो से अधिक पन्ने (शीट) उपयोग में लाए जाएं वहां या तो ऐसी लिखत के किसी भाग को इस प्रकार प्रयुक्त प्रत्येक पन्ने पर लिखा जाएगा या ऐसे पन्ने पर, जिसपर ऐसा कोई भाग नहीं लिखा गया है, यथास्थिति निष्पादक या निष्पादकों द्वारा यह उपदर्शित करने वाले पृष्ठांकन के साथ हस्ताक्षर किए जाएंगे कि यह पन्ना ऐसे दूसरे पन्ने (शीट) के साथ सहबद्ध है, जिस पर लिखत लिखी गई है ।

स्पष्टीकरण 2 :–जहां कागज का एकल पन्ना, जो कोई छापित हुण्डी स्टाम्प युक्त कागज न हो, स्टाम्पित कागजों पर सम्पूर्ण लिखत लिखे जाने के लिए अपर्याप्त है, वहां उसके साथ इतने सादे कागज लगाए जा सकेंगे जितने ऐसे लिखत के पूरे लेख्य के लिए आवश्यक हों,

परंतु ऐसे जोड़े गए सादे कागजों पर किसी भाग को लिखने से पूर्व लिखत का सारभूत भाग उस पन्ने (शीट) पर लिखा जाए जिस पर स्टाम्प लगा हुआ है और ऐसे सादे कागज पर यथास्थिति, निष्पादक या निष्पादकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

14. किसी भी ऐसे स्टाम्पित कागज के टुकड़े पर, जिस पर शुल्क से

एक स्टाम्प पर केवल एक लिखत रहेगी .

प्रभार्य कोई लिखत पहले ही लिखी जा चुकी है, शुल्क से प्रभार्य कोई दूसरी लिखत नहीं लिखी जाएगी :

परन्तु इस धारा की कोई बात किसी ऐसे पृष्ठांकन का, जो सम्यक् रूप से स्टाम्पित है या शुल्क से प्रभार्य नहीं है, किसी लिखत पर उसके द्वारा सृष्ट या साक्ष्यित किसी अधिकार का अंतरण करने के या कोई धनराशि या माल की, जिसका चुकाया जाना या परिदान उसके द्वारा प्रतिभूत है, प्राप्ति की अभिस्वीकृति के प्रयोजन के लिए किया जाना निवारित नहीं करेगी ।

15. **लिखतों में परिवर्तन कैसे प्रभार्य होंगे.** जहां किसी पक्षकार द्वारा अन्य पक्षकारों की सहमति से या सहमति के बिना लिखत में कोई तात्विक परिवर्तन करने के कारण लिखत का स्वरूप तात्विक रूप से या सारवान रूप से परिवर्तित हो जाता है, तब ऐसी लिखत पर इसके परिवर्तित स्वरूप के अनुसार नया स्टाम्प शुल्क अपेक्षित होगा ।

स्पष्टीकरण :– इस धारा के प्रयोजन के लिए तात्विक परिवर्तन वह है, जो लिखत द्वारा इसकी मूल स्थिति में अभिनिश्चित रूप में पक्षकारों के अधिकारों , दायित्वों या विधिक परिस्थिति को परिवर्तित करती है अथवा मूल रूप से निष्पादित किए गए रूप में किसी लिखत के विधिक प्रभाव को परिवर्तित करता है ।

16. **धारा 13,14 या 15 के प्रतिकूल लिखी गई लिखत असम्यक रूप से स्टाम्पित समझी जायेगी.** धारा 13, धारा 14 या धारा 15 के उल्लंघन में लिखी गई प्रत्येक लिखत की बाबत यह समझा जायेगा कि वह सम्यक रूप से स्टाम्पित नहीं है ।

17. **शुल्क का द्योतन करना .** जहां किसी शुल्क की मात्रा, जिससे कोई लिखत प्रभार्य है या उसकी शुल्क से छूट किसी भी रीति से उस शुल्क पर निर्भर है जो किसी अन्य लिखत की बाबत वस्तुत संदत्त किया गया है, वहां ऐसे अंतिम वर्णित शुल्क का संदाय

उस दशा में, जिसमें कि उस प्रयोजन के लिए कलक्टर को लिखित रूप में आवेदन दिया गया है, दोनों लिखतों के पेश किये जाने पर, कलक्टर के हस्ताक्षर सहित पृष्ठांकन द्वारा या ऐसी अन्य रीति से (यदि कोई हो),
जिसे राज्य सरकार नियम द्वारा विहित करे, ऐसी प्रथम वर्णित लिखत पर द्योतित किया जाएगा ।

(ग) लिखतों को स्टाम्पित करने का समय.

18. **राज्य में निष्पादित की गई लिखतें.** शुल्क से प्रभार्य और राज्य में किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित की गई सभी लिखतें, निष्पादित किए जाने के पूर्व या निष्पादन के समय स्टाम्पित की जाएंगी :

परन्तु यह कि समाशोधन सूची को राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा उस सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्टाम्पित किया जा सकेगा, यदि ऐसी समाशाोधन सूची
किसी संगम (एसोसिएशन) के समाशोधन गृह द्वारा स्टाम्प शुल्क की अपेक्षित रकम के साथ इसके निष्पादन की तारीख से दो माह के भीतर स्टाम्पित करने के लिए प्रस्तुत की जाती है ।

19. **लिखतें, जो राज्य के बाहर निष्पादित की गई है.** (1) शुल्क से प्रभार्य हर लिखत, जो इस राज्य के बाहर ही निष्पादित की गई है, राज्य में प्रथम बार उसके प्राप्त होने के तीन मास के भीतर स्टाम्पित की जा सकेगी ।

(2) जहां कोई ऐसी लिखत, उसके लिए विहित वर्णन के स्टाम्प से किसी प्राईवेट व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं की जा सकती ,वहां वह उक्त तीन मास की कालावधि के भीतर कलक्टर के समक्ष लाई जा सकेगी, जो उसे ऐसे मूल्य के स्टाम्प से, जैसा ऐसी लिखत को लाने वाला व्यक्ति अपेक्षित करे, और उसके लिए संदाय करे, ऐसी रीति से, जो राज्य सरकार नियम द्वारा विहित करे, स्टाम्पित करेगा।

मध्यप्रदेश राज्य में बढ़े हुए शुल्क के लिए दायी कतिपय लिखतों या उनकी प्रतिलिपियों पर शुल्क का भुगतान .

20. जहां अनुसूची में उल्लिखित कोई लिखत, किसी ऐसी सम्पत्ति से, जो राज्य में स्थित है या किसी बात या चीज से, जो इस राज्य में की गई है, या की जाने वाली है, संबंधित है, राज्य के बाहर निष्पादित की गई है, तथा उसके बाद ऐसी लिखत या उसकी प्रतिलिपि राज्य में प्राप्त की गई है, :–

(क) ऐसी लिखत या लिखत की प्रतिलिपि पर प्रभार्य शुल्क की रकम इस अधिनियम के अधीन उस पर प्रभार्य शुल्क की वह रकम होगी जिसको शुल्क की उस रकम को कम करते हुए, यदि कोई हो, जो उस पर जम्मू कश्मीर राज्य को अपवर्जित करके भारत में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसी लिखत को निष्पादित करते समय पहले ही संदाय किया गया है ;

(ख) यथास्थिति ऐसी लिखत या लिखत की प्रतिलिपि, ऐसे स्टाम्प के अतिरिक्त, जो उस पर पूर्व से चिपके हुए हों, पर खण्ड (क) के अधीन उस पर प्रभार्य शुल्क की रकम के भुगतान के लिए आवश्यक स्टाम्पों से, उसी रीति में तथा उसी समय पर तथा उसी व्यक्ति द्वारा स्टाम्पित की जाएगी मानो यथास्थिति ऐसी लिखत या ऐसी लिखत की प्रतिलिपि प्रथम बार राज्य में उस समय प्राप्त लिखत थी, जबकि वह उच्चतर शुल्क से प्रभार्य हुई ।

उन लिखतों के संबंध में प्रमाण पत्र या पृष्ठांकन की वैधता जिनके लिए मध्यप्रदेश में शुल्क की उच्चतर दर देय है .

21. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मध्यप्रदेश राज्य में इस अधिनियम के अधीन शुल्क की उच्चतर दर से प्रभार्य लिखत के संबंध में प्रमाण–पत्र या उसके अधीन पृष्ठांकन, साक्ष्य में तब तक प्राप्त नहीं किया जाएगा

या ऐसी लिखत पर शुल्क के भुगतान के संबंध में किसी भी तरह तब तक वैध नहीं होगा, जब तक इस अधिनियम में उपबंधित दर से प्रभार्य शुल्क ऐसी लिखत पर भुगतान न किया जा चुका हो ।

(घ) शुल्क के लिए मूल्यांकन.

विदेशी करेंसी में अभिव्यक्त रकम का संपरिवर्तन .

22. जहां कि कोई लिखत भारत की करेंसी से भिन्न किसी करेंसी में अभिव्यक्त किसी धनराशि की बाबत मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य है, वहां ऐसे शुल्क का परिकलन उस धनराशि के मूल्य पर किया जाएगा जो लिखत की तारीख को प्रचलित विनियमन की चालू दर के अनुसार उसका भारत की करेंसी में है ।

स्टाक और विपण्य प्रतिभूतियों का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा .

23. जहां कि कोई लिखत किसी स्टाक या किसी विपण्य या अन्य प्रतिभूति की बाबत मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य है, वहां ऐसे शुल्क का परिकलन ऐसे स्टाक या प्रतिभूति के उस मूल्य पर किया जाएगा जो लिखत की तारीख के दिन उसकी औसत कीमत या उसके मूल्य के अनुसार है ।

वे लिखतें जिनमें ब्याज के लिए उपबंध है .

24. जहां कि किसी लिखत के निबंधनों के अनुसार ब्याज अभिव्यक्त रूप से देय बनाया गया है, वहां ऐसी लिखत, उस शुल्क से अधिक शुल्क से प्रभार्य नहीं होगी जिससे तब प्रभार्य होती, जबकि उसमें ब्याज का वर्णन नहीं किया गया होता ।

विपण्य प्रतिभूतियों के बंधकों से संबंधित कतिपय लिखतों का करार के रूप में प्रभार्य होना.

25. (1) जहां कि कोई लिखत :—

(क) उधार के तौर पर दी गई या दी जाने वाली धन राशि के लिए अथवा किसी विद्यमान या भविष्य ऋण के लिए प्रतिभूति के तौर पर विपण्य प्रतिभूति का निक्षेप किये

जाने के समय दी गई है ;

(ख) किसी विपण्य प्रतिभूति के सम्यक् रूप से स्टाम्पित अंतरण को, जो प्रतिभूति के रूप में आशयित है, मोचनीय बनाती है या परिसीमित करती है,

वहां वह शुल्क से ऐसे प्रभार्य होगी, मानो वह अनुसूची के अनुच्छेद क्र. 5 (झ) के अधीन शुल्क से प्रभार्य कोई करार या करार का ज्ञापन हो।

(2) किसी ऐसी लिखत की निर्मुक्ति या उन्मोचन केवल वैसे ही शुल्क से प्रभार्य होगा ।

किसी ऋण के प्रतिफलस्वरूप अथवा भविष्य में संदाय आदि की शर्त वाले अंतरण किस प्रकार प्रभारित किए जाएंगे.

26. जहां कि काई सम्पत्ति किसी व्यक्ति को –

(क) उसे शोध्य किसी ऋण के पूर्णत : या भागतः प्रतिफल के लिए ; या

(ख) किसी धनराशि या स्टाक के निश्चित समाश्रित संदाय के अध्यधीन ,चाहे वह सम्पत्ति पर भार या विल्लंगम हो या नहीं,या बनाता हो या नहीं, उसे या किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित की जाती है, वहां ऐसे ऋण, धनराशि या स्टाक की बाबत यह समझा जाएगा कि वह, यथास्थिति, पूर्ण प्रतिफल या उसका भाग है, जिसकी बाबत् वह अंतरण मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य है :

परन्तु इस धारा की कोई भी बात किसी ऐसे विक्रय प्रमाणपत्र को लागू नहीं होगी जो अनुसची के अनुच्छेद क्र. 17 में वर्णित है । **स्पष्टीकरण** :– जहां सम्पत्ति का विक्रय किया जाता है तथा विक्रय किसी बंधक या अन्य विल्लंगम के अध्यधीन है, न चुकाई गई कोई बंधक धनराशि या भारित धनराशि और साथ–साथ उस पर देय ब्याज

(यदि कोई हो) विक्रय के लिए प्रतिफल का भाग समझा जाएगा, चाहे क्रेता, अभिव्यक्त रूप से विक्रेता को उसे चुकाने का या उसे क्षतिपूर्ति करने का वचनबंध दे या नहीं, विक्रेता को इसका भुगतान करना हो:

परन्तु जहां कि ऐसी सम्पत्ति जो बंधक के अध्यधीन है, बंधकदार को अंतरित की जाती है, वहां वह उस अंतरण पर देय शुल्क में से शुल्क की उतनी रकम की कटौती करने का हकदार होगा, जो बंधक की बाबत पहले ही दे दी गई है ।

दृष्टांत

(1) ख का 1000/– रूपए का ऋणी क है । क, 500 रू0 और पहले के 1000 रू. के ऋण की निर्मुक्ति के प्रतिफल में ख को सम्पत्ति बेच देता है । स्टाम्प शुल्क 1500 रूपए पर देय होगा ।

(2) ख को 500 रू. में क एक सम्पत्ति बेचता है । सम्पत्ति ग को 1000 रू. के लिए बंधक और 200 रू. के असंदत्त ब्याज के अध्यधीन है । विक्रय बंधक के अध्यधीन है । स्टाम्प शुल्क 1700 रू. पर देय होगा ।

(3) क 10,000 रू. मूल्य के एक मकान को ख को 5,000 रू. में बंधक रखता है । ख उसके पश्चात् क से मकान खरीद लेता है । बंधक के लिए पहले ही दे दी गई स्टाम्प शुल्क की रकम को कम करके 10,000 रू0 पर स्टाम्प शुल्क देय होगा ।

27. वार्षिकी आदि की दशा में मूल्यांकन. जहां कि कोई लिखत किसी वार्षिक या नियतकालिक रूप से देय अन्य राशि के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए निष्पादित की जाती है या

जहां कि हस्तांतरण के लिए प्रतिफल कोई वार्षिकी या नियतकालिक रूप से देय कोई अन्य राशि है, वहां यथास्थिति, ऐसी लिखत द्वारा प्रतिभूत रकम या ऐसे हस्तांतरण के लिए प्रतिफल के संबंध में इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह –

(क) वहां, जहां कि राशि किसी निश्चित कालावधि के लिए देय है जिससे कि संदत्त की जाने वाली कुल रकम को पहले ही अभिनिश्चित किया जा सके, ऐसी कुल रकम है ;

(ख) वहां, जहां कि राशि शाश्वत रूप में या किसी अनिश्चित समय के लिए ऐसी लिखत या हस्तांतरण पत्र की तारीख को किसी जीवन के साथ ही पर्यवसीय नहीं है, देय ऐसी कुल रकम है, जो ऐसी लिखत या हस्तांतरण पत्र के निबंधनों के अनुसार बीस वर्षों की कालावधि के दौरान देय होगी या देय हो सकेगी ,जिसका परिकलन प्रथम संदाय के शोध्य होने की तारीख से किया जाएगा; और

(ग) वहां, जहां कि धनराशि ऐसी लिखत या हस्तांतरण पत्र की तारीख को किसी जीवन के साथ ही पर्यवसिता होने वाले किसी अनिश्चित समय के लिए देय है ऐसी अधिकतम रकम है जो उस तारीख से बारह वर्षों की कालावधि के दौरान यथापूर्वोक्त रूप से देय होगी या देय हो सकेगी, जिसका परिकलन प्रथम भुगतान के शोध्य होने की तारीख से किया जाएगाा ।

28. जहां कि मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य किसी लिखत की विषय–वस्तु

स्टाम्प, जहां कि विषय वस्तु का मूल्य अनवधार्य	की रकम या मूल्य, उसके निष्पादन या प्रथम निष्पादन **है .**

की तारीख को अभिनिश्चित नहीं

किया जा सकता वहां ऐसी लिखत के अधीन उस अधिकतम रकम या मूल्य से अधिक किसी भी रकम या मूल्य का कोई भी दावा नहीं किया जा सकेगा, जिसके लिए, यदि उसी प्रकार की किसी लिखत में वह कथित किया गया होता, वस्तुतः उपयोग में लाया गया स्टाम्प ऐसे निष्पादन की तारीख को पर्याप्त होता :

परन्तु धारा 29 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, किसी ऐसे खान के पट्टे की दशा में, जिसमें रायल्टी या उत्पाद का अंश (शेयर) भाटक या भाटक के भाग के रूप में प्राप्त होता है, स्टाम्प शुल्क के प्रयोजन के लिए ऐसी रायल्टी या ऐसे अंश के मूल्य का प्राक्कलित किया जाना उस दशा में पर्याप्त होगा ——

(क) जबकि पट्टा सरकार द्वारा या उसकी ओर से ऐसी रकम या मूल्य पर दिया गया है जिसकी बाबत् कलक्टर ने मामले की सभी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए प्राक्कलित किया हो कि पट्टे के अधीन उस सरकार को रायल्टी या अंश के रूप में उसके देय होने की संभावना है ; या

(ख) जबकि पट्टा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पचास हजार रूपए प्रतिवर्ष पर दिया गया है और किसी रायल्टी या अंश की पूरी रकम , चाहे वह कितनी भी हो, ऐसे पट्टे के अधीन दावा किये जाने योग्य होगी :

परन्तु यह और कि जहां किसी लिखत की बाबत् धारा 33 या 42 के अधीन कार्यवाहियां की गई हैं, वहां कलक्टर द्वारा प्रमाणित की गई रकम की बाबत यह समझा जाएगा कि वह निष्पादन की तारीख को वस्तुतः उपयोग में लाया गया स्टाम्प है ।

29. जहां खान के पट्टे की कोई लिखत इसके निष्पादन के समय धारा 28 के प्रथम परन्तुक के खण्ड (क) के उपबंधों के अनुसार या लिखत में उपवर्णित अनिवार्य भाटक के आधार पर शुल्क से प्रभार्य की गई हो, वहां पट्टे की लिखत के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पांच वर्ष के भीतर कलेक्टर, स्वप्रेरणा से, लिखत को मंगा सकेगा तथा उसकी परीक्षा कर सकेगा, जिससे कि वह प्राक्कलित रायल्टी या उत्पाद के हिस्से की रकम या मूल्य के तथा उस पर चुकाए गए शुल्क के सही होने की संबंध में स्वयं का समाधान कर सके और यदि वह ऐसी परीक्षा के पश्चात् यह पाता है कि प्राप्त रायल्टी या उत्पाद के हिस्से की रकम या मूल्य,उस रकम या मूल्य से अधिक है, जिसके आधार पर पट्टे के निष्पादन के समय स्टाम्प शुल्क चुकाया गया था, तो वह इस अवधि के दौरान वास्तविक रूप से भुगतान की गई रायल्टी या हिस्से की राशि या मूल्य तथा प्रकरण की समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् पट्टे के संबंध में रायल्टी या हिस्से की रकम या मूल्य तथा उस पर देय शुल्क का पुनर्निधारण करेगा और शुल्क की रकम में अंतर, यदि कोई हो, उस व्यक्ति द्वारा देय होगा, जो शुल्क का भुगतान करने के लिए दायी हो।

खान के पट्टों की लिखतों पर स्टाम्प शुल्क का पुनः निर्धारण करने के लिए विशेष उपबंध .

30. (1) वह प्रतिफल (यदि कोई हो), बाजार मूल्य और समस्त अन्य तथ्य जिनसे कि किसी लिखत पर प्रभारित होने वाले किसी शुल्क पर या उस पर प्रभार्य शुल्क की रकम पर प्रभाव पड़ेगा, उसमें पूणरूप से और सत्यतापूर्वक उपवर्णित किए जाएंगे ।

शुल्क पर प्रभाव डालने वाले तथ्यों का लिखत में उपवर्णित किया जाना.

(2) स्थावर सम्पत्ति से संबंधित उन लिखतों की दशा में जिन पर कि सम्पत्ति के बाजार मूल्य के आधार पर, न कि उपवर्णित किए गए मूल्य के आधार पर मूल्यानुसार (एडवेलोरम) शुल्क प्रभार्य हो, लिखत में राजस्व दायी भूमि की दशा में वार्षिक भू–राजस्व का, अन्य स्थावर सम्पत्ति की दशा में वार्षिक भाड़े या कुल आस्तियों, यदि कोई हों, स्थानीय दरों, नगरपालिक या अन्य करों, जिनके कि ऐसी सम्पत्ति अध्यधीन हो, का तथा किन्हीं ऐसी अन्य विशिष्टियों का, जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित की जाएं, पूर्णतः और सही–सही उल्लेख होगा ।

(3) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का सं.16) की धारा 6 के अधीन नियुक्त कोई रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी या उसकी ओर से इस निमित्त प्राधिकृत किया गया कोई अन्य अधिकारी उस सम्पत्ति, जो कि ऐसी लिखत की विषय–वस्तु है, का निरीक्षण कर सकेगा उसकी फोटो कापी ले सकेगा तथा उसे नाप सकेगा, ताकि उसका यह समाधान हो सके कि ऐसी लिखत के बारे में इस धारा के उपबंधों का अनुपालन कर दिया गया है ।

31. बाजार मूल्य संबंधी दिशानिर्देशों का नियत किया जाना . राज्य सरकार इस निमित्त बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए, स्थावर सम्पत्ति अंतर्ग्रस्त करने वाली लिखतों पर, रजिस्ट्रीकरण के समय प्रभार्य स्टाम्प शुल्क अवधारित करने तथा धारा 48 के अधीन कलेक्टर को निर्देश करने के प्रयोजन से राज्य में स्थित भूमियों, भवनों तथा स्थावर सम्पत्ति में विभिन्न प्रकार के हितों के बाजार मूल्य संबंधी दिशानिर्देश नियत कर सकेगी तथा उसे कालिकतः पुनरीक्षित कर सकेगी ।

ड.– शुल्क किसके द्वारा देय है

32. किसी प्रतिकूल करार के अभाव में,उचित स्टाम्प की व्यवस्था करने **शुल्क किसके द्वारा** के व्यय निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा **देय हैं .** वहन किए जाएंगे :–

(क) अनसूची के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसी अनुच्छेद में वर्णित किसी लिखत की दशा में, अर्थात् :–

सं. 2 (प्रशासन बंधपत्र) ;

सं. 6 (हक विलेखों के निक्षेप या पण्यम या गिरवी) से संबंधित करार ;

सं. 12 (बंध–पत्र) ;

सं. 13 (पोतबंध–पत्र) ;

सं. 25 (सीमा शुल्क या आबकारी बंध–पत्र)

सं. 30 (अतिरिक्त प्रभार) ;

सं. 32 (क्षतिपूर्ति बंध–पत्र) ;

सं. 38 (बंधक विलेख) ;

सं. 49 (निर्मुक्ति) ;

सं. 50 (जहाजी माल बंध–पत्र)

सं. 51 (प्रतिभूति बंध–पत्र या बंधक विलेख) ;

सं. 52 (व्यवस्थापन) ;

सं. 57(क) (ऐसे डिबेन्चरों के,जो विपण्य प्रतिभूतियां हो,अंतरण चाहे वह डिबेन्चर शुल्क का दायी हो या न हो) ;

सं. 57(ख) (बंध–पत्र,बंधक विलेख या बीमा पालिसी द्वारा प्रतिभूत किसी हित के अंतरण) ;

ऐसी लिखत को लिखने वाले,बनाने वाले या निष्पादित करने वाले व्यक्ति द्वारा ;

(ख) किसी हस्तांतरण की (जिसके अंतर्गत बंधक सम्पत्ति का पुनः हस्तांतरण है) दशा में –प्राप्तिकर्ता द्वारा ;

(ग) किसी पट्टे या पट्टे के करार की दशा में पट्टेदार या आशयित पट्टेदार द्वारा ;

(घ) किसी पट्टे के प्रतिलेख की दशा में – पट्टाकर्ता द्वारा ;

(ङ) विनिमय की लिखत की दशा में – बराबर हिस्सों में पक्षकारों द्वारा ;

(च) विक्रय प्रमाण–पत्र की दशा में– उस सम्पत्ति के,जिससे ऐसा प्रमाण–पत्र सम्बद्ध है, क्रेता द्वारा ;

(छ) विभाजन की लिखत की दशा में–विभाजित की गई सम्पूर्ण सम्पत्ति में उनके अपने–अपने हिस्सों के अनुपात में, अथवा जबकि विभाजन किसी राजस्व प्राधिकारी या सिविल न्यायालय या मध्यस्थ द्वारा पारित किए गए किसी आदेश के निष्पादन में किया गया है, तब प्राधिकारी, न्यायालय या मध्यस्थ द्वारा निदेशित किए गए अनुपात में उसके पक्षकारों द्वारा वहन किए जाएंगे ; तथा

(ज) ऐसी लिखत, जो इस धारा के खण्ड (क) से (छ) में तथा इस अधिनियम में कहीं और विनिर्दिष्ट नहीं की गई हो, ऐसी लिखत को लिखने वाले, बनाने वाले या निष्पादन करने वाले व्यक्ति द्वारा ।

अध्याय 3

स्टाम्पों के बारे में न्यायनिर्णयन.

समुचित स्टाम्पों के बारे में न्यायनिर्णयन.

33. (1) जबकि कोई लिखत, चाहे वह निष्पादित हो या न हो और चाहे पहले ही स्टाम्पित हो या न हो, कलक्टर के पास लाई जाती है और उसे लाने वाला व्यक्ति शुल्क के बारे में (यदि कोई हो) जिससे वह प्रभार्य है, उस अधिकारी की राय के लिए आवेदन करता है

और जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित फीस की ऐसी रकम दे देता है, तब कलेक्टर उस शुल्क को (यदि काई हो) अवधारित करेगा जिससे उसके निर्णय में वह लिखत प्रभार्य है ।

(2) इस प्रयोजन के लिए कलक्टर, लिखत की संक्षिप्ति और ऐसे शपथ–पत्र या अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा जो वह यह साबित करने के लिए आवश्यक समझे कि लिखत पर प्रभार्य होने वाले किसी शुल्क पर या उस पर प्रभार्य शुल्क की रकम पर प्रभाव डालने वाले सभी तथ्य और परिस्थितियां, उसमें पूर्ण रूप से और सत्यतापूर्वक उपवर्णित है और जब तक कि ऐसी संक्षिप्ति और साक्ष्य तदनुसार प्रस्तुत न कर दिये जाएं, वह किसी ऐसे आवेदन पर कार्यवाही करने से इंकार कर सकेगा :

परन्तु –

(क) इस धारा के अनुसरण में दिया गया कोई भी साक्ष्य, ऐसी जांच के सिवाय, जो ऐसे शुल्क के बारे में हो, जिससे वह लिखत, जो उससे संबंधित है, प्रभार्य है, किसी सिविल कार्यवाही में किसी व्यक्ति के विरुद्ध उपयोग में नही लाया जायेगा; और

(ख) प्रत्येक व्यक्ति, जिसके द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है, ऐसा पूरा शुल्क दे देने पर, जिससे वह लिखत, जो उससे संबंधित है, प्रभार्य है, किसी भी ऐसी शास्ति से अवमुक्त कर दिया जायेगा जो इस अधिनियम के अधीन उसने ऐसी लिखत में पूर्वोक्त किन्हीं भी तथ्यों या परिस्थितियों को सत्यतापूर्वक कथित न करने के कारण उपगत कर ली हों ।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन कलक्टर के पास लाई गई कोई लिखत, स्थावर सम्पत्ति के ऐसे संव्यवहार से संबंधित है, जिस पर स्टाम्प शुल्क,सम्पत्ति के, जो कि लिखत की विषय–वस्तु है, बाजार

मूल्य के आधार पर प्रभार्य है, तो कलक्टर, उस पर देय उचित स्टाम्प शुल्क का निर्धारण करने के लिए इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा बनाए गये नियमों में विहित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए ऐसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य अवधारित करेगा ।

34. (1) जबकि धारा 33 के अधीन कलक्टर के पास लायी गई कोई **कलक्टर द्वारा प्रमाण–पत्र.** लिखत उसकी राय में, इस प्रकार की है जो शुल्क से प्रभार्य है, और –

(क) कलक्टर यह अवधारित करता है कि वह पहिले से ही पूर्णतः स्टाम्पित है; या

(ख) धारा 33 के अधीन कलक्टर द्वारा अवधारित किये गये शुल्क या लिखत की बाबत पहले ही दिये गये शुल्क सहित ऐसी राशि, जो इस प्रकार अवधारित किये गये शुल्क के बराबर है, दे दी गई है, तब कलक्टर ऐसी लिखत पर पृष्ठांकन द्वारा यह प्रमाणित करेगा कि उस पर प्रभार्य पूर्ण शुल्क (जिसकी रकम कथित की जायेगी) दे दिया गया है ।

(2) जबकि कलक्टर की राय में, ऐसी लिखत शुल्क से प्रभार्य नहीं है, तब वह उपर्युक्त रीति से यह प्रमाणित करेगा कि ऐसी लिखत इस प्रकार से प्रभार्य नहीं है ।

(3) अध्याय–6 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए किसी लिखत के बारे में, जिस पर इस धारा के अधीन कोई पृष्ठांकन किया गया है, यह समझा जायेगा कि वह, यथास्थिति, सम्यक् रूप से स्टाम्पित है या शुल्क से प्रभार्य नहीं है, तथा यदि वह शुल्क से प्रभार्य है, तो वह साक्ष्य में या अन्यथा ऐसे लिये जाने योग्य होगी और उस पर ऐसे कार्यवाही की जा सकेगी और वह ऐसे रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी, मानों वह प्रारंभ से ही सम्यक् रूप से स्टाम्पित थी :

परन्तु इस धारा की कोई भी बात कलक्टर को –

(क) ऐसी लिखत पर, जो राज्य में निष्पादित की गई हो या प्रथम बार निष्पादित की गई हो और जो, यथास्थिति उसके निष्पादन या प्रथम बार निष्पादन की तारीख से एक मास का अवसान हो जाने के पश्चात् उसके समक्ष लायी गयी हो ;

(ख) किसी ऐसी लिखत पर जो राज्य के बाहर निष्पादित की गई हो या प्रथम बार निष्पादित की गई हो और जो राज्य में उसके प्राप्त किये जाने से तीन मास का अवसान हो जाने के पश्चात् उसके समक्ष लायी गई हो ;

पृष्ठांकन के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी ।

(4) जहां कोई लिखत उपरोक्त परंतुक के खण्ड (क) तथा (ख) में विहित कालावधि के पश्चात् कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गई है, वहां कलक्टर धारा 35 तथा 41 के अधीन कार्यवाही करेगा ।

अध्याय 4

सम्यक् रूप से स्टाम्पित न की गई लिखतें.

लिखतों की परीक्षा और परिबद्ध किया जाना.

35. (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो विधि द्वारा या पक्षकारों की सम्मति से साक्ष्य लेने का प्राधिकार रखता है, और पुलिस अधिकारी के अलावा लोक कार्यालय का भारसाधक प्रत्येक व्यक्ति, जिसके समक्ष उसकी राय में शुल्क से प्रभार्य कोई लिखत उसके कृत्यों के पालन में पेश की जाती है या आ जाती है, उस दशा में उसे परिबद्ध करेगा, जिसमें कि यह प्रतीत होता है कि ऐसी लिखत सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है; चाहे लिखत विधि में विधिमान्य हो या नही :

परन्तु इस उपधारा में अंतर्विष्ट किसी बात के संबंध में यह नहीं समझा जायेगा कि वह कलक्टर को इस बात के लिए प्राधिकृत करती है कि वह किसी ऐसी लिखत को, जो कि निष्पादित न की गई हो, किन्तु उस शुल्क का, जो कि लिखत पर प्रभार्य हो, अवधारण करने के लिए

धारा 33 के अधीन उसके समक्ष लाई गई हो या किसी लिखत को,जिस पर कि वह धारा 34 के अधीन पृष्ठांकन करने के लिए प्राधिकृत है, परिबद्ध करे ।

(2) इस प्रयोजन के लिए ऐसा हर व्यक्ति ऐसे प्रभार्य और अपने समक्ष पेश की गई या आई हर लिखत की जांच यह अभिनिश्चित करने के लिए करेगा कि जब ऐसी लिखत निष्पादित की गई या प्रथम बार निष्पादित की गई थी, तब क्या वह राज्य में प्रवृत्त विधि द्वारा अपेक्षित मूल्य और विवरण के स्टाम्प से स्टाम्पित थी :

परन्तु–

(क) इसमे अंतर्विष्ट कोई भी बात, किसी मजिस्ट्रेट या न्यायालय के न्यायाधीश से यह अपेक्षा करने वाली नहीं समझी जायेगी कि वह दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973(1974 का 2) के अध्याय 9 या अध्याय 10 के भाग–घ के अधीन की कार्यवाही से भिन्न किसी कार्यवाही के अनुक्रम में अपने समक्ष आने वाली किसी लिखत की परीक्षा करे या उसे परिबद्ध करे, यदि वह ऐसा करना ठीक नहीं समझता ;

(ख) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की दशा में इस धारा के अधीन किसी लिखत की परीक्षा करने और परिबद्ध करने का कर्तव्य ऐसे अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जा सकेगा, जिसे न्यायालय इस निमित्त नियुक्त करे ।

(3) शंका की दशा में इस धारा के प्रयोजन के लिए :–

(क) राज्य सरकार यह अवधारित कर सकेगी कि किन कार्यालयों को लोक कार्यालय समझा जायेगा : और

(ख) राज्य सरकार यह अवधारित कर सकेगी कि किस व्यक्ति को लोक कार्यालय का भारसाधक समझा जायेगा ।

(4) जब उपधारा(1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को निरीक्षण के दौरान या अन्यथा किसी लिखत या उसकी प्रति से यह पता चले कि

लिखत सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है, तो वह व्यक्ति तुरंत उस मामले को कलक्टर को निर्दिष्ट करेगा ।

(5) कलक्टर, स्वप्रेरणा से या उक्त निर्देश किये जाने पर, मूल लिखत को यह अभिनिश्चित करने के लिए कि वह लिखत सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है, मंगा सकेगा और इस प्रकार प्रस्तुत की गई लिखत,उसके कृत्यों के पालन में उसके समक्ष प्रस्तुत की गई या लाई गई समझी जायेगी और कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर मूल लिखत प्रस्तुत न किये जाने की दशा में वह धारा 41 के अधीन शास्ति सहित समुचित स्टाम्प शुल्क या उसे पूरा करने के लिए अपेक्षित रकम के संदाय की अपेक्षा उस व्यक्ति से कर सकेगा, जो कि शुल्क का भुगतान करने के लिए दायी हो ।

सम्यक् रूप से स्टाम्पित न की गई लिखतें साक्ष्य आदि में अग्राह्य है.

36. शुल्क से प्रभार्य, कोई भी लिखत, जब तक कि ऐसी लिखत सम्यक् रूप से स्टाम्पित नही है,या यदि लिखत छापित स्टाम्प वाले कागज के पन्ने पर लिखी गई हो, ऐसा स्टाम्प पेपर लिखत के पक्षकारों मे से किसी एक के नाम से क्रय नही किया गया है, किसी व्यक्ति द्वारा, जो विधि द्वारा या पक्षकारों की सम्पत्ति से साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकार रखता है, किसी भी प्रयोजन के लिए साक्ष्य में ग्राह्य नही होगी अथवा किसी व्यक्ति द्वारा या किसी लोक अधिकारी द्वारा, उस पर कार्यवाहीं नही की जाएगी या वह रजिस्ट्रीकृत या अधिप्रमाणीकृत नहीं की जायेगीः

परन्तु –

(क) कोई ऐसी लिखत, ऐसे न्यायसंगत अपवादों के अधीन रहते हुए, वह शुल्क, जिससे वह प्रभार्य है अथवा उस लिखत की दशा में, जो अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित है, ऐसे शुल्क को पूरा करने के लिए अपेक्षित रकम और 100 रुपये न्यूनतम के अध्यधीन रहते हुए, लिखत

के निष्पादन की तारीख से प्रतिमाह या उसके भाग के लिए स्टाम्प शुल्क के कमी वाले भाग के दो प्रतिशत के बराबर शास्ति के साथ दे दिए जाने पर साक्ष्य में ग्राह्य होगी ;

(ख) जहां कि किसी प्रकार की कोई संविदा या करार, दो या अधिक पत्रों से मिलकर बने पत्र–व्यवहार द्वारा प्रभावी होता है और पत्रों में से किसी एक पर उचित स्टाम्प लगा है, वहां उस संविदा या करार की बाबत् यह समझा जायेगा कि वह सम्यक् रूप से स्टाम्पित है;

(ग) इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात दंड प्रक्रिया संहिता, 1973(1974 का 2) के अध्याय 9 या अध्याय 10 के भाग घ के अधीन की कार्यवाही से भिन्न दंड न्यायालय की किसी कार्यवाही में, किसी लिखत को साक्ष्य में ग्रहण किये जाने से निवारित नहीं करेगी ;

(घ) इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात, किसी न्यायालय में किसी लिखत को ग्रहण किये जाने से तब निवारित नहीं करेगी, जबकि ऐसी लिखत सरकार द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित की गई है या उस पर इस अधिनियम की धारा 34 या इसके किसी अन्य उपबंध द्वारा यथा उपबंधित कलक्टर का प्रमाण–पत्र लगा हुआ है तथा ऐसा प्रमाण–पत्र अध्याय 6 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पुनरीक्षित नहीं किया गया है ;

(ड.) इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात, किसी लिखत की प्रति या किसी लिखत की अंतर्वस्तु के मौखिक विवरण को ग्रहण करने से निवारित नही करेगी यदि स्टाम्प शुल्क के कमी वाले भाग और खण्ड (क) में यथा–विनिर्दिष्ट शास्ति का संदाय कर दिया जाये ;

(च) कोई ऐसी लिखत, सभी न्यायसंगत अपवादों के अधीन रहते हुए, उस शुल्क के, जिससे वह प्रभार्य है, अथवा उस लिखत की दशा में जो, अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित है, ऐसे शुल्क को पूरा करने के लिए अपेक्षित रकम दे दिये जाने पर रजिस्ट्रीकृत या अधिप्रमाणित की जायेगी ।

लिखत का ग्रहण कहां प्रश्नगत नहीं किया जायेगा .

37. जहां कि कोई लिखत साक्ष्य में ग्राह्य की गई है, वहां धारा 63 में यथा–उपबंधित के सिवाय, ऐसा ग्रहण, इस आधार पर कि लिखत सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं की गई है, उसी वाद या कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर प्रश्नगत नहीं किया जायेगा ।

अनुचित रूप से स्टाम्पित लिखतों का ग्रहण.

38. राज्य सरकार यह उपबंधित करने वाले नियम बना सकेगी कि जहां किसी लिखत पर पर्याप्त रकम का किन्तु अनुचित प्रकार का स्टाम्प लगा हुआ है, वहां वह शुल्क,जिससे वह प्रभार्य है, दे दिये जाने पर यह प्रमाणित किया जा सकेगा कि वह सम्यक् रूप से स्टाम्पित है और इस प्रकार, प्रमाणित लिखत के बारे में तत्पश्चात् यह समझा जायेगा कि उसके निष्पादन की तारीख से ही वह सम्यक् रूप से स्टाम्पित है ।

परिबद्ध की गई लिखतें कैसे निपटाई जाएंगी.

39. (1) जब धारा 35 के अधीन किसी लिखत को परिबद्ध करने वाले व्यक्ति को विधि द्वारा या पक्षकारों की सम्मति से साक्ष्य लेने का प्राधिकार है और ऐसी लिखत को वह धारा 36 द्वारा यथाउपबंधित किसी शुल्क या शास्ति के या धारा 38 द्वारा यथा उपबंधित किसी शुल्क के दे दिये जाने पर साक्ष्य में ग्रहण कर लेता है, वहां वह ऐसी लिखत की एक अभिप्रमाणिकृत प्रति और साथ–साथ उसकी बाबत् उद्ग्रहीत शुल्क और शस्ति की रकम का कथन करते हुए एक लिखित प्रमाण–पत्र कलक्टर को

भेजेगा और ऐसी रकम कलक्टर को या ऐसे व्यक्ति को , जिसे वह इस निमित्त नियुक्त करे, भेजेगा ।

(2) अन्य प्रत्येक मामले में, किसी लिखत को इस प्रकार परिबद्ध करने वाला व्यक्ति, उसकी मूल प्रति कलक्टर को भेजेगा ।

शास्ति वापस लौटाने की कलक्टर की शक्ति .

40. जब कोई लिखत केवल इस कारण परिबद्ध की गयी है कि वह धारा 13 या धारा 14 के उल्लंघन में लिखी गई है, तब कलक्टर इस प्रकार दी गई पूरी शास्ति वापस लौटा सकेगा ।

परिबद्ध की गई लिखतों को स्टाम्पित करने की कलक्टर की शक्ति.

41. (1) जबकि कलक्टर किसी लिखत को, धारा 35 के अधीन परिबद्ध करता है या धारा 39 की उपधारा(2) के अधीन उसे भेजी गई लिखत को प्राप्त करता है तब वह निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा :—

(क) जब कलक्टर द्वारा परिबद्ध या प्राप्त की गई कोई लिखत स्थावर संपत्ति के ऐसे संव्यवहार से संबंधित है, जिस पर स्टाम्प शुल्क, संपत्ति के, जो कि लिखत की विषय—वस्तु है, बाजार मूल्य के आधार पर प्रभार्य है, कलक्टर उस पर देय उचित स्टाम्प शुल्क का निर्धारण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार ऐसी संपत्ति का बाजार मूल्य अवधारित करेगा ;

(ख) यदि उसकी यह राय है कि ऐसी लिखत सम्यक् रूप से स्टाम्पित है या शुल्क से प्रभार्य नहीं है, तो वह उस पर पृष्ठांकन द्वारा यह प्रमाणित करेगा कि यथास्थिति,वह लिखत सम्यक् रूप से स्टाम्पित है या वह इस प्रकार से प्रभार्य नहीं है;

(ग) यदि उसकी यह राय है कि ऐसी लिखत शुल्क से प्रभार्य है और वह सम्यक रूप से स्टाम्पित नहीं है, तो वह यह

अपेक्षा करेगा कि उचित शुल्क या उसे पूरा करने के लिए अपेक्षित रकम और लिखत के निष्पादन की तारीख से प्रतिमाह या उसके भाग के लिए स्टाम्प शुल्क के कमी वाले भाग के दो प्रतिशत के बराबर शास्ति के साथ दी जाए :

परन्तु जबकि ऐसी लिखत केवल इस कारण से परिबद्ध की गई है कि धारा 13 या धारा 14 के उल्लंघन में लिखी गई है, तब यदि कलक्टर ठीक समझता है, तो वह इस धारा द्वारा विहित की गई पूरी शास्ति की माफी दे सकेगा।

(2) अध्याय–6 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक प्रमाण–पत्र, उसमें वर्णित विषयों के संबंध में इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, निश्चायक साक्ष्य होगा ।

(3) जहां कि कोई लिखत धारा 39 की उपधारा(2) के अधीन कलक्टर को भेजी गयी है, वहां कलक्टर इस धारा द्वारा यथाउपबंधित कार्यवाही कर लेने के पश्चात् उसे परिबंधन अधिकारी को लौटा देगा ।

42. दुर्घटनावश असम्यक् रूप से स्टाम्पित लिखतें. कोई ऐसी लिखत, जो शुल्क से प्रभार्य है और सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है, यदि किसी व्यक्ति द्वारा स्वप्रेरणा से उसके निष्पादन या प्रथम निष्पादन की तारीख से एक वर्ष के भीतर कलक्टर के समक्ष पेश की जाती है और ऐसा व्यक्ति कलक्टर की जानकारी में यह तथ्य लाता है कि ऐसी लिखत सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है और कलक्टर का समाधान हो जाता है कि ऐसी लिखत दुर्घटनावश, भूल या अत्यावश्यकता के परिणामस्वरूप सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं हुई है, तो वह धारा 35 और धारा 41 के अधीन कार्यवाही करने के बदले ऐसी रकम स्वीकार कर सकेगा और इसमें उसके पश्चात् इसमें विहित रूप से

आगे की कार्यवाही करेगा और यदि ऐसी लिखत इसके निष्पादन के एक वर्ष के पश्चात् कलक्टर के समक्ष पेश की जाती है, तो कलक्टर धारा 35 तथा 41 के अधीन कार्यवाही करेगा ।

उन लिखतों को पृष्ठांकित करना, जिन पर धारा 36, 41 या 42 के अधीन शुल्क दिया जा चुका है .

43. (1) जबकि किसी लिखत के बाबत उद्ग्रहणीय शुल्क और शास्ति (यदि कोई हो) धारा 36,धारा 41या धारा 42 के अधीन दी जा चुकी है, तब यथास्थिति, ऐसी लिखत को साक्ष्य में ग्रहण करने वाला व्यक्ति या कलक्टर उस पर पृष्ठांकन द्वारा, यह बात कि ऐसी लिखत की बाबत यथास्थिति, उचित शुल्क तथा शास्ति उद्ग्रहीत की जा चुकी है (प्रत्येक की रकम वर्णित करते हुए) और उस व्यक्ति का, जिसने वह दी है, नाम और निवास स्थान प्रमाणित करेगा ।

(2) अध्याय–6 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, इस प्रकार पृष्ठांकित प्रत्येक लिखत तब साक्ष्य में ग्राहय होगी और ऐसी रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी और उस पर ऐसे कार्यवाही की जा सकेगी और वह ऐसे अधिप्रमाणित की जा सकेगी मानो वह सम्यक् रूप से स्टाम्पित थी और वह इस निमित्त उसके आवेदन किये जाने पर पर ऐसे व्यक्ति को, जिसके कब्जे में से वह परिबद्ध करने वाले अधिकारी के पास पहुंची थी या जिसे वह व्यक्ति निर्दिष्ट करे, परिदत्त की जाएगी :

परन्तु –

(क) कोई भी ऐसी लिखत, जो धारा 36 के अधीन शुल्क और शास्ति दे दिये जाने पर साक्ष्य में ग्रहण कर ली गई है, परिबद्ध करने की तारीख के एक मास का अवसान होने के पूर्व या उस दशा मे, जिसमें कि कलक्टर ने यह प्रमाणित कर दिया है कि उसको और रोक रखना आवश्यक है और ऐसे प्रमाण–पत्र को रद्द नहीं किया है,

इस प्रकार परिदत्त नहीं की जाएगी ;

(ख) इस धारा की कोई भी बात सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश 13 के नियम 9 के उपबन्धों पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

44. **स्टाम्प विधि के विरुद्ध अपराध के लिए अभियोजन.** किसी लिखत की बाबत इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों को प्रारंभ कर देने या कोई शास्ति दे देने से किसी ऐसे व्यक्ति का, जिसके बारे में यह प्रतीत होता है कि उसने ऐसे लिखत की बाबत, स्टाम्प विधि के विरुद्ध अपराध किया है, अभियोजित किया जाना वर्जित नही होगा ।

45. **शुल्क या शास्ति देने वाले व्यक्ति कतिपय मामलों में उसे वसूल कर सकेंगे.** (1) जहां कि किसी लिखत की बाबत किसी व्यक्ति द्वारा धारा 36, धारा 38, धारा 41 या धारा 42 के अधीन कोई शुल्क दिया जा चुका है या शास्ति दी जा चुकी है और किसी करार द्वारा या धारा 32 के उपबंधों के उस समय, जब ऐसी लिखत निष्पादित की गई थी, प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन कोई अन्य व्यक्ति ऐसी लिखत के लिए उचित स्टाम्प के व्यय देने के लिए आबद्ध था, वहां प्रथम वर्णित व्यक्ति इस प्रकार दिये गये शुल्क या दी गई शास्ति की रकम ऐसे अन्य व्यक्ति से वसूल करने का हकदार होगा ।

(2) ऐसी वसूली के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के अधीन ऐसी लिखत की बाबत मंजूर किया प्रमाण–पत्र उसमें प्रमाणित किए गए विषयों का निश्चायक साक्ष्य होगा ।

(3) यदि न्यायालय उचित समझे तो, ऐसी रकम किसी वाद या कार्यवाही में, जिसके ऐसे व्यक्ति पक्षकार हैं, और जिसमे ऐसी लिखत साक्ष्य में पेश की गई है, खर्चे के बारे में किसी आदेश में सम्मिलित

की जा सकेगी । यदि न्यायालय ऐसी रकम को ऐसे आदेश में सम्मिलित नही करता है तो उस रकम की वसूली के लिए और कार्यवाहियां नही चलेंगी ।

कतिपय मामलों में शास्ति या अधिक शुल्क वापस लौटाने की राजस्व प्राधिकारी की शक्ति.

46. (1) जहां कि धारा 36 या 41 के अधीन किसी शास्ति का भुगतान किया गया है, वहां मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी, उसका भुगतान किये जाने की तारीख के एक वर्ष के भीतर लिखित रूप में आवेदन किए जाने पर ऐसी शास्ति को पूर्णतः या उसका भाग वापस लौटा सकेगा ।

(2) जहां कि मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी की राय में उस स्टाम्प शुल्क से, जो वैध रूप से प्रभार्य है, अधिक स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया गया है, और धारा 34, धारा 36, धारा 41 या धारा 48 के अधीन संदाय कर दिया गया है, वहां ऐसा प्राधिकारी ऐसा शुल्क प्रभारित करने के आदेश के एक वर्ष या वापसी (रिफन्ड) अनुज्ञात करने वाले आदेश की तारीख के 6 मास, इनमें से जो भी पश्चातवर्ती हो, के भीतर लिखित में आवेदन किए जाने पर उस अधिक शुल्क को वापस लौटा सकेगा ।

धारा 39 के अधीन भेजी गई लिखतों का खो जाने का अदायित्व.

47. (1) यदि धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन कलक्टर को भेजी गई कोई लिखत पारेषण के दौरान खो जाती है, नष्ट हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उसे भेजने वाला व्यक्ति उसके ऐसे खो जाने, नष्ट हो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने के लिए किसी दायित्व के अधीन नही होगा ।

(2) जबकि कोई लिखत इस प्रकार भेजी जाने वाली है तो वह व्यक्ति, जिसके कब्जे में से वह उसको परिबद्ध करने वाले व्यक्ति के पास पहुॅची थी ऐसे प्रथम वर्णित व्यक्ति के व्यय पर बनाई गई और ऐसे लिखत परिबद्ध करने वाले व्यक्ति द्वारा अधिप्रमाणीकृत उसकी एक प्रति की अपेक्षा कर सकेगा ।

48. (1) यदि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का सं. 16) की धारा 6 के अधीन नियुक्त किया गया रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, किसी लिखत जिस पर स्टाम्प शुल्क संपत्ति की विषय–वस्तु के बाजार मूल्य पर प्रभार्य है, की रजिस्ट्री करते समय यह पाता है कि उक्त संपत्ति का बाजार मूल्य, धारा 31 में निर्देशित बाजार मूल्य संबंधी दिशा निर्देशों से कम उपवर्णित किया गया है तो वह, ऐसी लिखत की रजिस्ट्री करने के पूर्व उसे ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य के तथा उस पर देय उचित शुल्क के अवधारण के लिए कलक्टर को निर्दिष्ट करेगा ।

न्यून मूल्यांकित लिखतों पर किस प्रकार कार्यवाही की जायेगी.

(2) जहां कि लिखत में उपवर्णित किया गया बाजार मूल्य धारा 31 मे निर्दिष्ट बाजार मूल्य संबंधी दिशा निर्देशों से कम नही है किन्तु रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि बाजार मूल्य लिखत में सत्यतापूर्वक उपवर्णित नही किया गया है, तो वह ऐसी लिखत की रजिस्ट्री करेगा और उसके पश्चात् उसे ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य के तथा उस पर देय उचित शुल्क के अवधारण के लिए कलक्टर को निर्दिष्ट करेगा ।

(3) कलक्टर,उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन निर्देश प्राप्त होने पर , पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात् और जांच करने के पश्चात् उस सम्पत्ति का, जो कि ऐसी लिखत की विषय–वस्तु है, बाजार मूल्य का तथा यथापूर्वोक्त शुल्क का अवधारण करेगा और शुल्क की रकम में अंतर, यदि कोई हो, उस व्यक्ति द्वारा देय होगा, जो कि शुल्क का भुगतान करने के लिए दायी हो ।

(4) कलक्टर,स्वप्रेरणा से, या किसी अन्य स्त्रोत से सूचना प्राप्त होने पर ,किसी ऐसी लिखत को, जो कि उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के अधीन उसे पहले निर्दिष्ट की गई हो, मंगा सकेगा तथा उसकी

परीक्षा कर सकेगा, जिससे कि वह उस संपत्ति के, जो कि किसी ऐसी लिखत की विषय वस्तु है, बाजार मूल्य के तथा उस पर देय शुल्क को
सही होने के संबंध में स्वयं का समाधान कर सके और यदि ऐसी परीक्षा के पश्चात् उसको यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसी संपत्ति का बाजार मूल्य लिखत में सही–सही उपवर्णित नहीं किया गया है तो वह उपधारा (3) में उपबंधित की गई प्रक्रिया के अनुसार ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य का तथा यथापूर्वोक्त शुल्क का अवधारण कर सकेगा और शुल्क की रकम में अंतर, यदि कोई हो, उस व्यक्ति द्वारा देय होगा जो कि शुल्क का भुगतान करने के लिए दायी हो और उपधारा (3) या (4) के अधीन शुल्क की रकम में अंतर के भुगतान के लिये दायी व्यक्ति, कलक्टर द्वारा अवधारित स्टाम्प शुल्क के संबंध में, मांग की सूचना की तामीली की तारीख से साठ दिवस के भीतर उसका भुगतान करेगा और यदि ऐसा व्यक्ति इस प्रकार मांगे गये स्टाम्प शुल्क का उक्त साठ दिवस की अवधि में भुगतान करने में असफल रहता है तो वह,ऐसी लिखत के निष्पादन या प्रथम निष्पादन की तारीख से, जैसी भी स्थिति हो, प्रतिमास या उसके भाग के लिए स्टाम्प शुल्क के कमी वाले भाग पर दो प्रतिशत की दर से शास्ति का भुगतान करने के लिये दायी होगा।

(5) इस धारा के अधीन जांच के प्रयोजन के लिए, कलक्टर को साक्षियों या उनमें से किसी को भी, जिनमें लिखत के पक्षकार भी सम्मिलित हैं, समन करने तथा हाजिर कराने की तथा उसी माध्यम से और जहां तक हो सके, उसी रीति में दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए विवश करने की शक्ति होगी जैसी कि सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 (1908 का सं. 5) के अधीन सिविल न्यायालय के मामले में उपबंधित है।

(6) उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कलक्टर के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील, विहित रीति में

आयुक्त को कर सकेगा जो या तो स्वयं अपील का विनिश्चय कर सकेगा या उसे संभाग के अपर आयुक्त को अंतरित कर सकेगा :

परन्तु देय शुल्क की रकम कम करने के लिए कोई अपील तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी, जब तक कि व्यक्ति विहित रीति में यथास्थिति उपधारा (3) या (4), जैसी भी स्थिति हो के अधीन कलक्टर द्वारा अवधारित शुल्क की रकम में अंतर का पचास प्रतिशत निक्षेप नहीं कर दे ।

(7) उपधारा (6) के अधीन अपील में पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील विहित रीति में मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी, को कर सकेगा ।

(8) प्रत्येक प्रथम तथा द्वितीय अपील उस आदेश की, जिसके कि विरुद्ध अपील फाइल की गई हो, संसूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर उस आदेश की, जिसके संबंध में आपत्ति की गई हो, एक प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ फाइल की जायेगी तथा ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाये, उपस्थापित एवं सत्यापित की जायेगी :

परन्तु पूर्वोक्त कालावधि की संगणना करने में, उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की गई हो, प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिये अपेक्षित समय अपवर्जित कर दिया जाएगा ।

(9) अपील प्राधिकारी ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जैसी कि विहित की जाए :

परन्तु कोई भी आदेश अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा ।

(10) द्वितीय अपील में पारित आदेश या जहां कोई द्वितीय अपील न की गई हो, वहां प्रथम अपील में पारित आदेश अंतिम होगा और यथास्थिति, प्रथम या द्वितीय अपील में पारित किये गये आदेशों के

अध्यधीन रहते हुए वह आदेश, जो कलक्टर द्वारा उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन पारित किया गया हो, अंतिम होगा और किसी भी

सिविल न्यायालय में या किसी भी अन्य प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

49. (1) इस अध्याय के अधीन भुगतान के लिये अपेक्षित सभी **शुल्कों और शास्तियों** शुल्क, शास्तियां और अन्य राशियां प्रतिमाह **की वूसली.** या उसके भाग के लिए दो प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज के साथ उस व्यक्ति की, जिसके द्वारा वे देय हैं, संपत्ति से भू–राजस्व की बकाया के तौर पर वसुलीय होंगी ।

(2) इस अध्याय के अधीन संदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित सभी शुल्क, शास्तियां और अन्य राशियां उस संपत्ति पर भार होंगी, जो लिखत की विषय–वस्तु है :

परन्तु उपधारा (2) के उपबंध उन मामलों में, जो वसूली के लिए लम्बित हैं तथा जिनमें उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही पूर्व में ही प्रारंभ कर दी गई है, लागू समझे जायेंगे ।

(3) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का सं. 16) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उसमें विहित की गई अनुक्रमणिकाओं में ऐसे प्रभार या इसके निर्वापन का टिप्पण किया जायेगा तथा उक्त अधिनियम के अधीन सूचना समझा जाएगा

अध्याय – 5

कतिपय अवस्थाओं में स्टाम्पों में छूट.

खराब हो गए स्टाम्पों के लिए छूट.

50. ऐसे नियमों के अधीन जो अपेक्षित साक्ष्य अथवा की जाने वाली जांच के बारे में राज्य सरकार द्वारा बनाये जाएं, धारा 51 में विहित कालावधि के भीतर आवेदन किये जाने पर, कलक्टर का यदि उन तथ्यों के बारे में समाधान हो जाता है, तो इसमें इसके पश्चात् वर्णित दशाओं में खराब हो गये छापित स्टाम्पों के लिए वह छूट दे सकेगा, अर्थात्–

(क) किसी ऐसे कागज पर का स्टाम्प जो किसी व्यक्ति द्वारा उस पर लिखी गई किसी लिखत के निष्पादित किये जाने के पूर्व अनवधानता और अपरिकल्पित रूप से खराब हो गया है या मिट गया है या लिखने की गलती से या किसी अन्य कारण से आशयित प्रयोजन के लिए अनुपयुक्त हो गया है;

(ख) किसी ऐसे दस्तावेज पर का स्टाम्प, जो पूर्णतः या भागतः लिखा गया है किन्तु जो उसके किसी पक्षकार द्वारा हस्ताक्षरित या निष्पादित नहीं किया गया है;

(ग) उसके किसी पक्षकार द्वारा निष्पादित किसी लिखत के लिये उपयोग में लाया गया स्टाम्प, जो –

(एक) तत्पश्चात् प्रारंभ से ही विधि की दृष्टि से पूर्ण रूप से शून्य पाया गया है;

(दो) तत्पश्चात् उसमें की किसी गलती या भूल के कारण मूल रूप से आशयित प्रयोजन के लिए वह अनुपयुक्त पाया गया है;

(तीन) किसी ऐसे व्यक्ति की, जिसके द्वारा उसका निष्पादित किया जाना आवश्यक था, उसे निष्पादित किये बिना मृत्यु हो जाने या किसी ऐसे व्यक्ति के उसको निष्पादित करने से इंकार किये जाने के कारण, वह इस रूप में पूर्ण नहीं की जा सकती कि जिससे आशयित संव्यवहार को अपेक्षित प्ररूप में प्रभावी बनाया जा सके;

(चार) किसी आवश्यक पक्षकार द्वारा उसका निष्पादन न किये जाने और उसको हस्ताक्षरित करने में उसकी असमर्थता या उससे इंकार किये जाने के कारण उस प्रयोजन के लिए जिसके लिये वह आशयित है, तथ्यतः अपूर्ण और अपर्याप्त है;

(पांच) उसके अधीन कार्य करने से, या उसके द्वारा प्रतिभूत किये जाने के लिए आशयित कोई अग्रिम धन देने से किसी व्यक्ति के इंकार करने के कारण या उसके द्वारा प्रदान किये गये किसी पद के लेने से इंकार करने या अप्रतिगृहीत किये जाने के कारण वह आशयित प्रयोजन के लिए पूर्णतः निष्प्रभावी हो गया है;

(छह) उसके द्वारा प्रभावी किये जाने के लिये आशयित ऐसे संव्यवहार के परिणामस्वरूप जो उन्हीं पक्षकारों के बीच किसी अन्य लिखत द्वारा प्रभावी हुआ है अनुपयोगी हो जाता है और जिस पर उससे कम मूल्य का स्टाम्प नहीं है;

(सात) कम मूल्य का है और उसके द्वारा प्रभावी किये जाने के लिये आशयित संव्यवहार उन्हीं पक्षकारों के बीच किसी अन्य लिखत द्वारा प्रभावी किया जा चुका है और जिस पर उससे कम मूल्य का स्टाम्प नहीं है;

(आठ) अनवधानता से और अपरिकल्पनापूर्वक खराब हो गया है

और जिसके बदले में उन्हीं पक्षकारों के बीच और उसी प्रयोजन के लिये लिखी गई कोई अन्य लिखत निष्पादित की गई है और सम्यक् रूप से स्टाम्पित हैः

परन्तु यह तब जब कि निष्पादित की गई किसी लिखत के मामले में कोई भी ऐसी विधिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई है, जिसमें वह लिखत साक्ष्य में दी जा सकती या पेश की जा सकती थी अथवा दी गई या पेश की गई है और जिसमें वह लिखत रद्द नहीं की गई है ।

स्पष्टीकरण :– धारा 34 के अधीन कलक्टर का इस आशय का प्रमाण पत्र कि लिखत पर प्रभार्य सम्पूर्ण शुल्क दे दिया गया है, तथा राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट मशीन के द्वारा फ्रेंक किया गया कोई स्टाम्प तथा धारा 10 की उपधारा (5) के अधीन रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार द्वारा किया गया कोई पृष्ठांकन प्रमाण पत्र तथा कोई इलेक्ट्रानिक–स्टाम्प इस धारा के अर्थ के अंतर्गत एक छापित स्टाम्प है ।

धारा 50 के अधीन राहत दिय जाने के लिए आवेदन कब किया जाएगा.

51. धारा 50 के अधीन राहत दिये जाने के लिए आवेदन निम्नलिखित कालावधियों के भीतर अर्थात्–

(एक) खण्ड (ग) के उप खण्ड (5) में वर्णित मामलों में लिखत की तारीख के दो मास के भीतर;

(दो) किसी ऐसे स्टाम्पित कागज के मामले में, जिस पर उसके किसी पक्षकार द्वारा कोई भी लिखत निष्पादित नहीं की गई है, स्टाम्प के खराब हो जाने के छह मास के भीतर;

(तीन) किसी ऐसे स्टाम्पित कागज के मामले में, जिस पर उसके पक्षकारों मे से किसी के द्वारा

कोई लिखत निष्पादित की गई है, लिखत की

तारीख के छह मास के भीतर या यदि उस पर तारीख नहीं है तब ऐसे व्यक्ति के द्वारा, जिसके द्वारा वह प्रथम बार या अकेले ही निष्पादित की गई थी, उसके निष्पादित किये जाने के छह मास के भीतर;

किया जायेगा :

परन्तु—

(क) जबकि खराब हो गई लिखत पर्याप्त कारण से भारत के बाहर भेज दी गई है, तब आवेदन उसके भारत में वापस आ जाने के छह मास के भीतर किया जा सकेगा;

(ख) जब कि कोई लिखत जिसके स्थान पर अन्य लिखत प्रतिस्थापित की जा चुकी है, अनिवार्य परिस्थितियों के कारण उपर्युक्त कालावधि के भीतर रद्द करने के लिये पेश नहीं की जा सकती है तब आवेदन प्रतिस्थापित की गई लिखत के निष्पादन की तारीख के छह मास के भीतर किया जा सकेगा।

52. **छपे प्ररूपों की दशा में छूट जिनकी निगमों को और आवश्यकता नहीं हो.**

मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी या उस दशा में कलक्टर जिसमें कि वह मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया हो किसी बैंककार द्वारा

या किसी निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय द्वारा लिखतों के छपे हुए
(51)
प्ररूपों के लिए उपयोग में लाये गये स्टाम्पित कागजों के लिए समय परिसीमित किये बिना, छूट उस दशा में दे सकेगा, जिसमें कि किसी पर्याप्त कारण से ऐसे प्ररूप उपर्युक्त बैंककार, कंपनी या निगमित निकाय द्वारा अपेक्षित न रह गये हों:

परन्तु यह तब जब कि ऐसे प्राधिकारी का यह समाधान हो गया है कि ऐसे स्टाम्पित कागजों की बाबत शुल्क सम्यक् रूप से दे दिया गया है ।

53. **गलती से उपयोग किये गये स्टाम्पों के लिए छूट.** कलक्टर, लिखत की तारीख से छह मास के भीतर या, यदि उस पर तारीख नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसके द्वारा वह प्रथम बार या अकेले ही निष्पादित की गई थी, उसके निष्पादित किये जाने के छह मास के भीतर आवेदन किये जाने पर और यदि वह लिखत शुल्क से प्रभार्य है तो लिखत के उचित शुल्क से पुनः स्टाम्पित किये जाने पर, उसको रद्द कर सकेगा और इस प्रकार गलती से उपयोग किये गये या अनुपयोगी स्टाम्प के लिये खराब हुई स्टाम्प की तरह *ऐसे मामलों में* छूट दे सकेगा–

(क) जबकि किसी व्यक्ति ने किसी ऐसी लिखत के लिए जिस पर शुल्क प्रभार्य है ऐसे स्टाम्प से जो ऐसी लिखत के लिए इस अधिनियम के अधीन बनाये गए नियमों द्वारा विहित है, भिन्न प्रकार का स्टाम्प या आवश्यकता से अधिक मूल्य के स्टाम्प का अनवधानता से उपयोग किया है या किसी ऐसे लिखत के लिए जिस पर कोई शुल्क प्रभार्य नहीं है, किसी स्टाम्प का अनवधानता से उपयोग किया है;या

(ख) जबकि किसी लिखत के लिये उपयोग में लाया गया कोई स्आम्प ऐसी लिखत की धारा 13 के उपबंधों के उल्लंघन में लिखी गई होने के कारण अनवधानता से धारा 16 के अधीन अनुपयोगी हो गया है ।

54. कलक्टर, किसी भी ऐसे मामले में, जिसमें खराब हो गये या गलती से उपयोग किये गये.स्टाम्पों के लिए छूट दी गई है, उसके बदले में दे सकेगा –

खराब हो गये या गलती से उपयोग किये स्टाम्पों के लिए छूट किस प्रकार दी जायेगी

(क) उसी वर्णन और मूल्य के अन्य स्टाम्प; या

(ख) उस दशा में जिसमें कि ऐसा अपेक्षित हो और वह उचित समझता है, उतने ही मूल्य की रकम में किसी अन्य वर्णन के स्टाम्प; या

(ग) स्वविवेकानुसार, प्रत्येक रूपये या रूपये के प्रभाग के लिए दस पैसे कटौती करके उसी मूल्य के बराबर धनराशि।

55. जबकि किसी व्यक्ति के कब्जे में ऐसे स्टाम्प या स्टाम्पें हैं, जो खराब नहीं हो गए हैं या आशयित प्रयोजन के लिए अनुपयुक्त या अनुपयोगी नहीं हो गए हैं किन्तु जिसका या जिनका उस के द्वारा तुरंत उपयोग नहीं किया जाना है, तब कलक्टर ऐसे व्यक्ति को ऐसी स्टाम्प या स्टाम्पों के मूल्य के बराबर धनराशि, उसमें से प्रत्येक रूपए या रूपए के प्रभाग के लिये दस पैसे कटौती करके ऐसे व्यक्ति द्वारा उसे रद्द किये जाने को परिदत्त किये जाने पर और कलक्टर के समाधान होने पर निम्नलिखित साबित करने पर वापस दे सकेगा–

उन स्टाम्पों के लिय छूट, जो उपयोग में नहीं लाने हैं.

(क) कि ऐसी स्टाम्प या स्टाम्पें ऐसे व्यक्ति द्वारा उपयोग करने के सद्भावी आशय से क्रय की गई थी; और

(ख) कि उसने उनकी पूरी कीमत दी है; और

(ग) कि वे उस तारीख के जिसको वे इस प्रकार परिदत्त की गई ठीक पूर्ववर्ती छह मास की कालावधि के भीतर ऐसे क्रय की

गई थी :

परन्तु जहां कि कोई व्यक्ति स्टाम्पों का अनुज्ञप्त विक्रेता है, वहां यदि कलक्टर उचित समझता है तो वह विक्रेता द्वारा वस्तुतः दी गई राशि, यथापूर्वोक्त कोई कटौती किये बिना वापस दे सकेगा ।

56. **स्टाम्पों का अविधि मान्य किया जाना तथा व्यावृत्तियां.** धारा 50, 51, 53, 54 तथा 55 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, –.

(क) कोई स्टाम्प जो क्रय किये गये हों किन्तु जिनका उपयोग न हुआ हो या जिनके संबंध में कोई छूट का दावा इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रारंभ होने की तारीख निर्दिष्ट किया गया है) से तत्काल पूर्व की तारीख या उससे पहले नहीं किया गया है तथा प्रारंभ की तारीख से पूर्व ऐसे स्टाम्पों के क्रय की तारीख से छह मास की अवधि व्यपगत नहीं हुई है, का उपयोग या अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन छूट के दावे के लिये परिदान ऐसे स्टाम्पों के क्रय की तारीख से छह मास की अवधि पूर्ण होने से पहले किया जा सकेगा तथा उक्त अवधि में ऐसे स्टाम्पों का इस प्रकार उपयोग न करने या ऐसा परिदान न करने पर यह अविधिमान्य हो जाएंगे;

(ख) कोई स्टाम्प जो प्रारंभ की तारीख को या इसके पश्चात् क्रय किये गये हों, किन्तु उनके क्रय की तारीख से छह मास की अवधि में उपयोग में नहीं लाए गये हों या उनके संबंध में छूट का दावा नहीं किया गया हो, अविधिमान्य होंगे ।

अध्याय – 6

निर्देश और पुनरीक्षण.

मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी का नियंत्रण और उसे मामले का कथन.

57. (1) वे शक्तियां, जो कलक्टर द्वारा *इस अधिनियम* के उपबंधों या इसके अधीन बनाये गए किसी नियम या आदेश के अधीन प्रयोक्तव्य है, सभी मामलों में मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन होंगी ।

(2) यदि धारा 33, धारा 41, या धारा 42 के अधीन कार्य करने वाले कलक्टर को उस शुल्क की रकम के बारे में, जिससे कोई लिखत प्रभार्य है, कोई संदेह होता है, तो वह मामले का एक कथन बनायेगा और उसे अपनी राय सहित मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के विनिश्चय के लिए निर्देशित करेगा।

(3) ऐसा प्राधिकारी, संबंधित पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, मामले पर विचार करेगा और अपने विनिश्चय की एक प्रति कलक्टर को भेजेगा जो ऐसे विनिश्चय के अनुरूप शुल्क (यदि कोई हो) निर्धारित और प्रभारित करने की कार्यवाही करेगा ।

(4) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, कलक्टर के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, सिवाय जहां मामला अधिनियम के अधीन अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित हो, लिखित आवेदन द्वारा ऐसे आदेश प्राप्ति की तारीख के नब्बे दिवस के भीतर मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी को ऐसे आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण फाईल कर सकेगा, जो पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् मामले पर विचार करेगा तथा उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वह न्यायसंगत एवं उचित समझे तथा इस प्रकार

पारित आदेश अंतिम होगा ।

58. (1) स्टाम्पों की पर्याप्तता के संबंध में कलक्टर के कतिपय विनिश्चयों का पुनरीक्षण. जब भूलवश या अन्यथा कोई लिखत, कलक्टर द्वारा, यथास्थिति, उस पर उद्ग्रहणीय से कम शुल्क से प्रभारित की जाती है या शुल्क से प्रभार्य धारित नहीं की जाती है, सिवाय जहां मामला अधिनियम के अधीन किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष लम्बित हो, मुख्यनियंत्रक राजस्व प्राधिकारी पक्षकार से लिखत उसके समक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा तथा पक्षकार को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात ऐसे लिखत की परीक्षा करेगा कि क्या उस पर कोई शुल्क प्रभार्य है या क्या कोई कम शुल्क उद्ग्रहीत किया गया है तथा संबंधित पक्षकार से कम शुल्क, यदि कोई हो, की वसूली आदेशित करेगा । ऐसे कम शुल्क के भुगतान के पश्चात् तदुपरांत लिखत पर इसका पृष्ठांकन किया जायेगा ।

(2) पक्षकार द्वारा मूल लिखत प्रस्तुत करने में असफल रहने पर, मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी लिखत की प्रतिलिपि या लिखत के उद्धरण के आधार पर इस धारा के अधीन कार्यवाही करेगा तथा ऐसी प्रतिलिपि या उद्धरण इस धारा के प्रयोजन के लिये मूल लिखत समझा जाएगा ।

59. (1) उच्च न्यायालय को मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी द्वारा मामले का कथन. मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी धारा 57 की उपधारा (2) के अधीन अपने को निर्देशित किये गये या अन्यथा उसकी जानकारी में आये किसी मामले का कथन तैयार कर सकेगा और ऐसे मामले को, उस पर अपनी राय सहित उच्च

न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा ।

(2) ऐसा प्रत्येक मामला उच्च न्यायालय की खंड–न्यायपीठ द्वारा विनिश्चत किया जायेगा ।

कथित मामले के बारे में अतिरिक्त विशिष्टियों की मांग करने की उच्च न्यायालय की शक्ति.

60. यदि उच्च न्यायालय का समाधान नहीं होता कि मामले में अंतर्विष्ट कथन तद्द्वारा उठाये गये प्रश्नों को अवधारित करने में उसे समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त हैं, तो वह न्यायालय उस राजस्व प्राधिकारी को, जिसके द्वारा वह कथन तैयार किया गया था, उसमें ऐसे परिवर्तन या परिवर्धन करने के लिये, जैसे वह न्यायालय इस निमित्त निर्दिष्ट करे, मामले को वापस भेज सकेगा ।

कथित मामलों को निपटाने की प्रक्रिया.

61. (1) उच्च न्यायालय, किसी मामले की सुनवाई पर , तद्द्वारा उठाये गये प्रश्न विनिश्चित करेगा और उस पर , उन आधारों को अंतर्विष्ट करते हुए जिन पर ऐसा विनिश्चय आधारित है, अपना निर्णय देगा ।

(2) न्यायालय उस राजस्व प्राधिकारी को, जिसके द्वारा मामले का कथन किया गया था, ऐसे निर्णय की प्रति, जिस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी और जिस पर रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर होंगे, भेजेगा, और राजस्व प्राधिकारी, ऐसी प्रति मिलने पर, मामले का निपटारा ऐसे निर्णय के अनुरूप करेगा ।

उच्च न्यायालय को अन्य न्यायालयों द्वारा मामले का कथन.

62. (1) यदि धारा 59 में वर्णित न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय को धारा 36 के परन्तुक केखण्ड (क) के अधीन किसी लिखत की बाबत देय शुल्क की रकम के बारे में संदेह है, तो वह

न्यायाधीश मामले का एक कथन तैयार करेगा और उस पर अपनी राय सहित उसे उस उच्च न्यायालय के विनिश्चय के लिए निर्देशित करेगा जिसको यदि वह मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी होता, तो वह धारा 59 के अधीन उसे निर्देशित करता।

(2) ऐसा न्यायालय मामले पर ऐसी कार्यवाही करेगा, मानो वह धारा 59 के अधीन निर्देशित किया गया हो तथा अपने निर्णय की प्रति, जिस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी और रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर होंगे मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी को और ऐसी ही दूसरी प्रति निर्देश करने वाले न्यायाधीश को भेजेगा जो ऐसी प्रति प्राप्त होने पर मामले का, ऐसे निर्णय के अनुरूप निपटारा करेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किये गये निर्देश उस दशा में जिसमें कि वे जिला न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा किये जाते है उस जिला न्यायालय के मार्फत किये जायेंगे और उस दशा में, जिसमें कि वे किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय द्वारा किये जाते हैं, ठीक वरिष्ठ न्यायालय की मार्फत किये जायेंगे ।

स्टाम्पों की अपर्याप्तता के संबंध में न्यायालयों के कतिपय विनिश्चयों का पुनरीक्षण.

63. (1) जब कोई न्यायालय अपनी सिविल या राजस्व अधिकारिता का प्रयोग करते हुए या कोई दांडिक न्यायालय, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 9 या अध्याय 10 के भाग—घ के अधीन किसी कार्यवाही में किसी लिखत को सम्यक् रूप से स्टाम्पित रूप में या ऐसी लिखत के रूप में, जिसके लिये स्टाम्प अपेक्षित नहीं है या धारा 36 के अधीन शुल्क और शास्ति दे दिये जाने पर साक्ष्य में ग्रहण करने का कोई आदेश देता है, तो वह न्यायालय, जिसको ऐसे प्रथम वर्णित न्यायालय से अपील होती है या निर्देश किये जाते हैं, स्वप्रेरणा से या कलक्टर के आवेदन पर ऐसे आदेश पर विचार कर सकेगा ।

(2) यदि ऐसे न्यायालय की इस प्रकार विचार करने के पश्चात्, यह राय है कि ऐसी लिखत धारा 36 के अधीन शुल्क और शास्ति दिये बिना या दिये गये शुल्क और शास्ति से अधिक शुल्क और शास्ति के दिये बिना साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए था, तो वह उस आशय की एक घोषणा अभिलिखित करेगा और शुल्क की, जिससे ऐसी लिखत प्रभार्य है, रकम अवधारित करेगा और किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके कब्जे में या शक्ति में ऐसी लिखत उस समय है, लिखत पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा और पेश किए जाने पर उसे परिबद्ध कर सकेगा ।

(3) जब कि उपधारा (2) के अधीन कोई घोषणा अभिलिखित की गई है, तब उसे अभिलिखित करने वाला न्यायालय, उसकी एक प्रति कलक्टर को भेजेगा और जहां कि उससे संबंधित लिखत परिबद्ध की गई है या अन्यथा उस न्यायालय के कब्जे में है, वहां वह ऐसी लिखत भी उसे भेजेगा ।

(4) कलक्टर, तदुपरि, ऐसी लिखत को साक्ष्य में ग्रहण करने के आदेश में अथवा धारा 43 या धारा 44 के अधीन अनुदत्त किसी प्रमाण–पत्र में किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यक्ति को स्टाम्प विधि के विरूद्ध किसी ऐसे अपराध के लिये, जिसके बारे में कलक्टर का यह विचार है कि उसने ऐसी लिखत की बाबत यह अपराध किया है, अभियोजित कर सकेगाः

परन्तु ––

(क) ऐसा कोई भी अभियोजन उस दशा में, जिसमें कि शुल्क और शास्ति सहित वह रकम जो ऐसे न्यायालय के अवधारण के अनुसार धारा 36 के अधीन लिखत की बाबत देय थी, कलक्टर को दे दी गई है, तब के सिवाय संस्थित नहीं किया जायेगा जबकि वह यह समझता है कि अपराध उचित शुल्क देने में अपवंचन करने के आशय

से किया गया था;

(ख) ऐसे अभियोजन के प्रयोजनों के सिवाय, इस धारा के अधीन की गई कोई भी घोषणा, किसी लिखत को साक्ष्य में ग्रहण करने के किसी आदेश या धारा 43 के अधीन अनुदत्त किसी प्रमाण–पत्र की विधिमान्यता पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

अध्याय –7

दाण्डिक अपराध और प्रक्रिया.

ऐसी लिखत के, जो सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है, निष्पादन आदि के लिए शास्ति.

64. (1) कोई व्यक्ति, जो स्टाम्प शुल्क के अपवंचन के आशय से, शुल्क से प्रभार्य किसी लिखत को, उसे सम्यक् रूप से स्टाम्पित किये बिना निष्पादित करता है या उस पर साक्षी के रूप से अन्यथा हस्ताक्षर करता है, वह ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये से कम नहीं होगा किंतु पांच लाख रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

(2) यदि प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम 1956(1956 का सं. 42) की धारा 2 के खण्ड (ज) के अधीन यथा–परिभाषित कोई प्रतिभूति सम्यक् रूप से स्टाम्पित किये बिना निर्गमित की गई है, तो उसे निर्गमित करने वाली कंपनी और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उसके निर्गमित किये जाने के समय उस कंपनी का प्रबंध निदेशक या सचिव या अन्य मुख्य अधिकारी है, जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रूपए तक का हो

सकेगा, दण्डनीय होगा ।

65. कोई व्यक्ति, जो समाशोधन सूची में ऐसी घोषणा करता है जो कि मिथ्या है या जिसके मिथ्या होने के बारे में वह जानता है या विश्वास करता है, दोषसिद्ध होने पर कारावास से जिसकी अवधि एक मास से कम नहीं होगी, किन्तु जो छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पच्चीस हजार रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

समाशोधन सूची में मिथ्या घोषणा करने के लिये शास्ति.

66. यदि कोई व्यक्ति, जिससे यह अपेक्षित है कि वह धारा 12 अधीन किसी चिपकने वाले स्टाम्प को काट दे, उस धारा द्वारा विहित की गई रीति से ऐसे स्टाम्प को काटने में त्रुटि करेगा, वह जुर्माने से, जो पांच सौ रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

चिपकने वाले स्टाम्प को काटने में त्रुटि लिये शास्ति.

67. जो कोई व्यक्ति सरकार को धोखा देने के आशय से –

धारा 30 के उपबंधों का अनुपालन करने में लोप करने के लिए शास्ति.

(क) कोई ऐसी लिखत निष्पादित करेगा जिसमें वह तथ्य और परिस्थितियां, जिनकी बाबत धारा 30 के अधीन यह अपेक्षित है कि वे ऐसी लिखत में उपवर्णित की जायें, पूर्णतः और सत्यतः उपवर्णित नहीं की गई हैं; या

(ख) किसी लिखत के तैयार करने में नियोजित होने पर या उसके बारे में संबंधित होने पर, उसमें सभी ऐसे तथ्य और परिस्थितियां पूर्णतः और सत्यतः उपवर्णित करने में उपेक्षा

करेगा या लोप करेगा; या

(ग) इस अधिनियम के अधीन सरकार को किसी शुल्क या शास्ति से वंचित करने की परिकल्पना से कोई अन्य कार्य करेगा;

वह जुर्माने से जो पच्चीस हजार रूपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो पांच लाख रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

स्टाम्प शुल्क में कमी की राशि की वसूली.

68. (1) किसी लिखत के संबंध में, जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन शुल्क का संदाय करने के दायित्वाधीन है, धारा 67 के अधीन अपराध करने के लिये सिद्ध दोष ठहराया जाता है, वहॉ दोष सिद्ध करने वाला न्यायालय, उक्त अपराध के लिये जो दण्ड दिया जा सकता है, उसके अतिरिक्त, उस लिखत के संबंध में उक्त व्यक्ति से इस अधिनियम के अधीन शोध्य शुल्क की रकम, यदि कोई हो, उस व्यक्ति से वसूल करेगा और कलक्टर को उसका संदाय करेगा और कलक्टर तदुपरांत लिखत पर पृष्ठांकन द्वारा यह प्रमाणित करेगा कि उसके संबंध में समुचित शुल्क उद्ग्रहीत कर लिया गया हैः

परन्तु यह कि यदि ऐसा व्यक्ति उस लिखत के बारे में, जिसके संबंध में वह इस उपधारा के अधीन सिद्ध दोष ठहराया गया है, इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य शुल्क के प्रति कोई रकम पहले ही संदत्त कर चुका हो, तो न्यायालय केवल ऐसे प्रभार्य शुल्क की रकम को पूरा करने के लिये अंतर की ही वसूली कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन वसूलनीय रकम न्यायालय द्वारा वैसे ही वसूल की जाएगी मानो वह दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन अधिरोपित कोई जुर्माना हो ।

69. **स्टाम्पों के विक्रय से संबंधित नियम भंग के और अप्राधिकृत विक्रय के लिए शास्ति.**

जो कोई व्यक्ति स्टाम्पों के विक्रय के लिए नियुक्त होते हुए धारा 74 के अधीन बनाये गये किसी नियम की अवज्ञा करेगा और इस प्रकार नियुक्त न होते हुए भी किसी स्टाम्प का (.जो एक रूपए वाले चिपकने वाले स्टाम्प से भिन्न है) विक्रय करेगा या उसे विक्रय के लिए प्रस्थापित करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

70. **अभियोजनों का संस्थित किया जाना और संचालन.**

(1) इस अधिनियम या एतद्द्वारा निरसित किसी अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध की .बाबत कोई भी अभियोजन, कलक्टर या ऐसे अन्य अधिकारी की, जिसे इस निमित्त राज्य सरकार साधारणतः या कलक्टर विशेषतः प्राधिकृत करे, मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जायेगा ।

(2) मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा साधारणतः या विशेषतः प्राधिकृत अन्य अधिकारी ऐसे अभियोजन को रोक सकेगा या किसी ऐसे अपराध का शमन कर सकेगा ।

(3) किसी ऐसे शमन की रकम, धारा 49 द्वारा उपबंधित रीति

से वसूलीय होगी।

71. **न्यायालयों की अधिकारिता.** कोई न्यायालय जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से निम्न का न हो, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

अध्याय –8

अनुपूरक उपबंध.

72. (1) **पुस्तकें आदि निरीक्षण के लिए खुली रहेंगी.** प्रत्येक लोक अधिकारी, जिसकी अभिरक्षा में कोई रजिस्टर, पुस्तक, अभिलेख, कागज,दस्तावेज, कार्यवाहियां या इलेक्ट्रानिक अभिलेख है, जिनके निरीक्षण का यह परिणाम हो सकता है कि कोई शुल्क प्राप्त हो जाये या किसी शुल्क के संबंध में कोई कपट या लोप साबित हो जाये या प्रकट हो सकता है, कलक्टर द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति को, किसी फीस या प्रभार के बिना, सभी युक्तियुक्त समयों पर उन रजिस्टरों, पुस्तकों, अभिलेखों, कागजों, दस्तावेजों, कार्यवाहियों और इलेक्ट्रानिक अभिलेख का निरीक्षण करने देगा और ऐसे टिप्पण और उद्धरण लेने देगा जो वह आवश्यक समझे और यदि आवश्यक हो तो उन्हें धारा 34 के अधीन अभिग्रहीत करने देगा तथा उन्हें परिबद्ध करने देगा ।

73. (1) **नियम बनाने की शक्ति.** राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को साधारणतः कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा

नियम बना सकेगी और ऐसे नियमों द्वारा यह उपबंध हो सकेगा कि उनके भंग की दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो पांच हजार रूपए से अधिक नहीं होगाः

(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, तथा विशेष रूप से ऐसे नियम निम्न लिखित सभी या इनमें से किसी मामले को विनियमित कर सकेंगे या इनके लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :–

(क) स्टाम्पों और स्टाम्पित कागजों का प्रदाय, विक्रय और उपयोग;

(ख) वे व्यक्ति, केवल जिनके द्वारा ऐसा विक्रय संचालित किया जायेगा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के कर्तव्य और पारिश्रमिक;

(घ) स्थावर सम्पत्ति के बाजार मूल्य अभिनिश्चित करने तथा स्थावर सम्पत्ति की बाजार मूल्य गाईड लाईन तैयार करने की रीति;

(ड.) अपील या पुनरीक्षण कार्रवाई के लिए प्रक्रिया; और

(च) स्टाम्प शुल्क के भुगतान के लिए फ्रेंकिंग मशीन या अन्य मशीन के उपयोग तथा इलेक्ट्रानिक–स्टाम्पिंग के लिए प्रक्रिया।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गये सभी नियम राजपत्र में पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन रहेंगें:

परन्तु यह कि यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जो तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक बनाती हैं, तो इस धारा के अधीन बनाए गये किसी नियम के पूर्व प्रकाशन की शर्त को वह अभिमुक्त कर सकती है ।

74. इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये समस्त नियम उनके प्रकाशित किये जाने के पश्चात्,यथाशक्य शीघ्र विधानसभा के पटल पर रखे जायेंगे।

राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखे जायेंगे.

75. राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकेगी –.

कतिपय शक्तियों का प्रत्यायोजन.

(क) मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी को, धारा 2 (छः), 35 (3) (ख), 70 (1) और 74 द्वारा प्रदत्त की गई सभी या कोई भी शक्तियां; और

(ख) किसी अधीनस्थ राजस्व प्राधिकारी को, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, धारा 46 (1), (2), 57 (1), 58 और 70 (2) द्वारा मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी को प्रदत्त की गई सभी या कोई शक्तियां ।

76. (1) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत हो, तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत हो, कठिनाई दूर कर सकेगी :

कठिनाईयां दूर करने की शक्तियां.

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष का अवसान हो जाने के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके बनाए

जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधान–मण्डल के समक्ष रखा जाएगा ।

न्यायालय फीस के बारे में व्यावृत्ति.

77. जहां तक प्रतियों से इसका संबंध है धारा 7 के सिवाय, इस अधिनियम की कोई भी बात,न्यायालय फीस संबंधी तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के अधीन प्रभार्य शुल्कों पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जायेगी ।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का लागू होना.

78. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं.2), जहां तक उसका उक्त अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 91 में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के बारे में संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची तीन की प्रविष्टी 44 से संबंध है, इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर लागू होगा ।

निरसन और व्यावृत्ति.

79. (1) मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) सिवाय उसके कि जहां वह भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 91 में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों से संबंधित है, एतद्द्वारा निरसित किया जाता हैः

परन्तु यह कि ऐसे निरसन से, –

(क) इस प्रकार निरसित उक्त अधिनियमिति के पूर्व प्रवर्तन पर या उसके अधीन पूर्व में सम्यक रूप से की गई या सहन की गई किसी बात के परिणामों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा;

(ख) उक्त अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता

या दायित्व पर प्रभाव नहीं पड़ेगा;

(ग) इस प्रकार निरसित उक्त अधिनियमिति के विरूद्ध किये गये किसी अपराध के संबंध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड पर प्रभाव नहीं पड़ेगा; या

(घ) यथापूर्वोक्त ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड के संबंध में कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा;

तथा ऐसा कोई अन्वेषण,विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित, चालू या प्रभावी रखा जा सकेगा तथा ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा जैसे कि यह अधिनियम पारित ही नहीं किया गया था;

(2) इस प्रकार निरसित अधिनियमिति के अधीन की गई कोई नियुक्ति, जारी की गई कोई अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम या प्ररूप, जहां तक ऐसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना आदेश, नियम या प्ररूप इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बनाये गये और जारी किये गये समझे जायेंगे, जब तक कि वे इस अधिनियम के अधीन की गई किसी नियुक्ति, जारी किसी अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम या प्ररूप द्वारा अतिष्ठित न कर दिये जायें ।

मध्यप्रदेश स्टाम्प विधेयक, 2007 पर सुझाव भेजने बाबत्

जैसा कि आपको विदित है, कि मध्यप्रदेश राज्य में वर्तमान में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 लागू है । अब इसके स्थान पर मध्यप्रदेश राज्य का राज्य विशिष्ट स्टाम्प अधिनियम, लागू करने के लिए मध्यप्रदेश स्टाम्प विधेयक, 2007 का प्रारूप तैयार किया गया है । कृपया इस पर यदि कोई सुझाव/आपत्ति आप देना चाहें, तो ई–मेल igrebpl@mp.nic.in पर अथवा निम्न पते पर भेजने का कष्ट करें ।

पता :– महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश
"पंजीयन भवन", पुरानी विधानसभा के सामने,
मालवीय नगर, भोपाल–462003

महानिरीक्षक पंजीयन, मध्यप्रदेश